महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,हिमाचल,गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI NO.MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं.MH/MR-NW-251/2013-/2015
e-paper:www.srushtiagronews.com

Posted atMalad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to15th issue)
18th to 19th for (15th to 30th Issue)

सृष्टि एग्रो

ग्रामीण विकास का संपूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

वर्ष : 2 अंक - 03 | मुंबई, 1 मार्च से 15 मार्च 2014 | मुल्य-2/- रुपए पृष्ठ -8

गैलार्डिया की वैज्ञानिक खेती

बिहार को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से किया गया सम्मानित

नई दिल्ली, वित्तीय वर्ष 2012-13 में गेहूँ के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए भारत सरकार ने बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार'' से पुरस्कृत किया है। ''कृषि कर्मण पुरस्कार'' के रूप में भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य के कृषि विभाग को एक करोड़ रूपये की राशि एवं प्रषस्ती पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिनांक 10 फरवारी, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित ''एग्रो फारेस्ट्री कांग्रेस 2014'' के अवसर पर प्रदान किया गया। बिहार सरकार की तरफ से इस पुरस्कार को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राप्त किया। पुरस्कार के रूप में महामहिम राष्ट्रपति ने माननीय मुख्यमंत्री को मोमेन्टों एवं प्रशस्ती पत्र से सम्मानित किया। साथ ही राज्य को भारत सरकार द्वारा एक करोड़ रूपये की राशि भी प्रदान की गई है। इस अवसर पर राज्य के माननीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त जयराम लाल मीणा, प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह भी उपस्थित थे। राज्य से गेहूँ में सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता प्राप्त करने वाले दो कृषकों के साथ अभांषु सी० जैन, उप कृषि निदेषक (प्रसार) गये थे। उक्त पुरस्कार से गेहूँ में सर्वश्रेष्ठ

(शेष पृष्ठ २ पर)

सृष्टि एग्रो ने किया जागरूक किसानों का सम्मान

अलवर, कृषि विज्ञान केन्द्र में सृष्टि एग्रो के सौजन्य से जागरूक किसान संगोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया! K.V.K के एम.पी. यादव की अध्यक्षता में हुये इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुये एम.पी. यादव ने कहा वर्तमान समय मे कृषि मे अधिक जागरूकता की आवश्यकता है! सृष्टि एग्रो के प्रधान संपादक सुरेश शर्मा ने कहा किसानो को गुणवत्ता खेती के लिये कृषि साहित्य का भी अध्यन करना चाहिये ! मौके पर प्रोग्रेसिव किसान श्री मती कमलेश ,सज्जन सिंह,हरि सिंह ,सुरेश यादव

(शेष पृष्ठ ३ पर)

शिप्रा का बैक वॉटर नर्मदा से जाकर मिला

देवास. लंबे इंतजार के बाद छापरी-मड़लावदा की सीमा पर शिप्रा के बैक वाटर (बांध का पानी) से नर्मदा का मिलन हो गया। इस ऐतिहासिक मिलन के बाद देवास सहित आसपास के करीब 250 गांवों को जलसंकट से राहत मिलना तय है। जमीन ऊबड़-खाबड़ होने के कारण नर्मदा आने नहीं बढ़ पा रही थी। वहां मौजूद अधिकारी और ग्रामीण कुछ देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन एक सप्ताह से इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध आखिरकर टूट ही गया। तय हुआ कि जेसीबी से रास्ते को खोद दिया जाए। अधिकारी और गांव के लोगों की आपसी सहमति के बाद जेसीबी से रास्ते को खोदना शुरू किया गया। तक तक बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच चुके थे, सभी को संगम का बेसब्री से इंतजार था। सभी लोग इस ऐतिहासिक मिलन के साक्षी होना चाहते थे।

करीब 20 मिनट की खुदाई के बाद भी जब दोनों नदियों का मिलन नहीं हुआ तो लोग हाथों से मिट्टी हटाने में जुट गए। बैक

(शेष पृष्ठ २ पर)

तहसील व विकास खण्डस्तर पर संवादाताओं की आवश्यकता

मुंबई से प्रकाशित प्रमुख हिन्दी कृषि पक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो उपरोक्त राज्य के विकास खंड एंवम तहसील स्तर पर संवादाता नियुक्त करने है. संवादाता बनने के लिए कृषि विकास की जानकारी एंवम ग्रामीण कृषि से सम्बन्धित होना अति आवश्यक है!कृषि विषय के जानकार व कृषि आदान से जुडे व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी !संवादाता की नियुक्ति कमीशन आधार पर होगी , संवादाता का मुख्य कार्य सृष्टि एग्रो के अधिक से अधिक सदस्य बनाना व विज्ञापन लेना रहेगा

अपने आसपास की घटनाओं पर नज़र रखना,व उसका समाचार सृष्टि एग्रो में भेजना प्रमुख दायित्व मे शामिल रहेगा अगर आप उपरोक्त शती से सहमत है तो सृष्टि एग्रो से जुडने के लिए सम्पर्क करें.

022-66998360/61.
Fax: 022-66450908,
info@srushtiagronews.com

भागीरथ प्रयास का असर उगाई हौसले की फसल

सिजुआ. बाघमारा की मालकेरा दक्षिण पंचायत का बाडूघुटू गांव कभी पानी के लिए तरसता था, लेकिन अब वहां इसकी स्थायी व्यवस्था हो गई है। यह संभव हुआ ग्रामीणों के हौसलों और कड़ी मेहनत की बदौलत। उन्होंने खोदो नदी से गांव तक एक किमी. लंबा नाला

बनाकर अपने गांव की तकदीर बदल दी। ग्रामीणों के इस भगीरथ प्रयास का असर भी दिखने लगा है। कभी झाड़-झंखाड़ से भरे इस गांव में अब दूर-दूर तक हरियाली नजर आती है। गांव के तालाब लबालब भरे रहते हैं। खेतों में गेहूं, सरसों, हरी सब्जियां की फसलें लहलहा रही है। ग्रामीणों ने अपने हौसले के दम पर समाज के सामने मिसाल पेश की है। बाडूघुटू के पास से

(शेष पृष्ठ २ पर)

सिंचाई ठेकों में हजारों करोड़ की धोखाधड़ी

नागपुर। नागपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित होते ही आप नेता अंजली दमानिया ने नितीन गडकरी के करीबी राज्यसभा सदस्य अजय संचेती पर निशाना साध दिया। संचेती के स्वामित्व की कंपनियों में धांधली के आरोप लगाते हुए दमानिया ने कहा है कि सिंचाई ठेकों में हजारों करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। दमानिया ने नागपुर के पुलिस आयुक्त के. के. पाठक से मुलाकात कर उन्हें शिकायतों के साथ दस्तावेज भी दिए हैं। पुलिस ने फिलहाल कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। प्रारंभिक जांच के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। दमानिया ने पुलिस आयुक्त के अलावा सह पुलिस आयुक्त संजय सक्सेना, अपराध शाखा के उपायुक्त सुनील कोल्हे से भी मुलाकात की।

(शेष पृष्ठ ३ पर)

बर्मों के जखीरे पर मोसारा गांव

नवी मुंबई का एक गांव है जहां लोग हथियारों और विस्फोटकों के ढेर के पास दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं. गांव के बीचोबीच हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा पड़ा है लेकिन न तो बर्मों को निष्क्रिय किया जा रहा है और न ही इसे गांव से हटाया जा रहा है. रअसल ये जखीरा उस कबाड़ का हिस्सा है, जिसे ईराक-ईरान युद्ध के बाद आयात किया गया था. इसमें कई जिंदा बम हैं इस वजह से गांव के लोग हमेशा खौफ के साये में रहते हैं. मोसारा गांव में एक कमरे में बंद हथियारों और विस्फोटकों के ढेर की वजह से पूरा गांव दहशत में है. इस कमरे में 50 हथगोले, 1000 से ज्यादा कारतूस, रॉकेट और मोर्टार बम हैं. सुनकर आप भी चौंक गए, लेकिन यही सच है. ये विस्फोटक अक्टूबर 2004 में एक छापेमारी के दौरान पुलिस को यहां मिले थे.

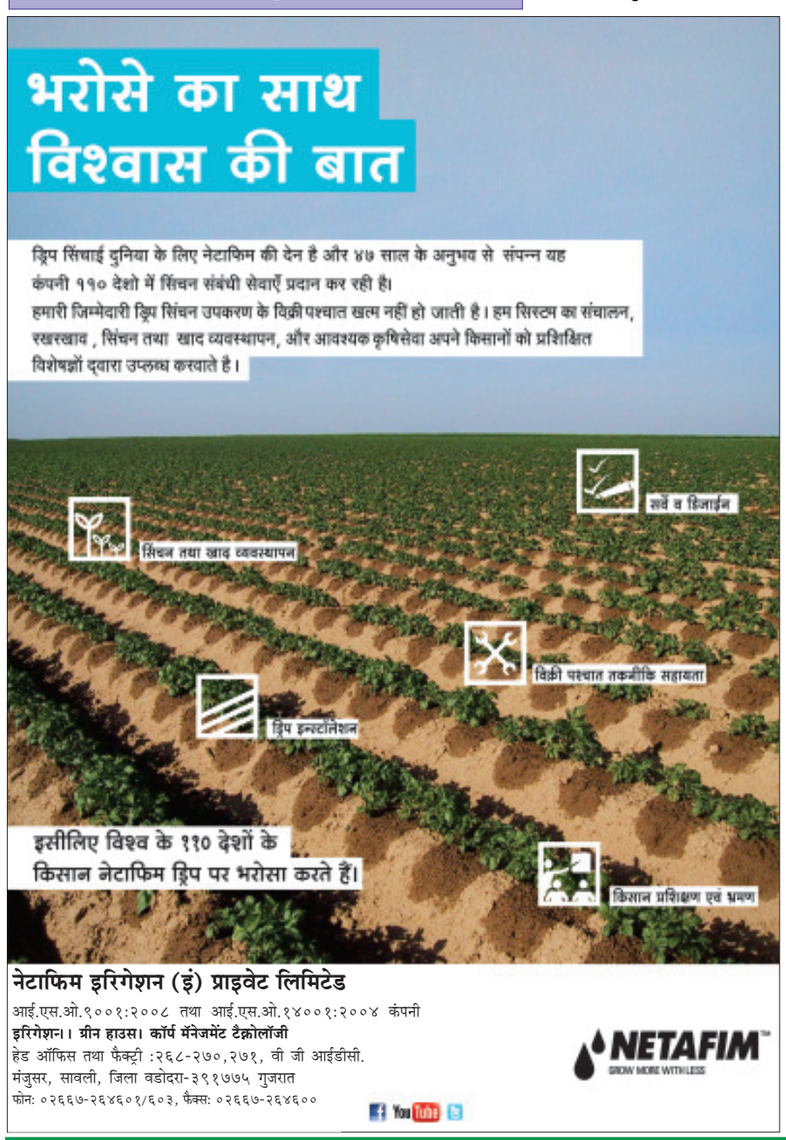

नेटाफिम इरिगेशन (इं) प्राइवेट लिमिटेड
आई.एस.ओ.९००१:२००८ तथा आई.एस.ओ.१४००१:२००४ कंपनी
इरिगेशन। ग्रीन हाउस। कॉर्प मॅनेजमेंट टैक्नोलॉजी
हेड ऑफिस तथा फैक्ट्री :२६८-२७०,२७१, वी जी आईडीसी.
मंजुसर, सावली, जिला वडोदरा-३९१७७५ गुजरात
फोनः ०२६६७-२६४६०१/६०३, फैक्सः ०२६६७-२६४६००
NETAFIM GROW MORE WITHLESS
You Tube

संपादकीय

संविधान में 'प्रकृति के अधिकार''

किसी देश में पर्यावरण के क्षरण का प्राथमिक कारण जनसंख्या का तीव्र विकास है, जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है. इनसे भूमि पर भारी दबाव, भूमि क्षरण, वन, निवास का विनाश और जैव विविधता के नुकसान पैदा होते हैं. उपभोग के बदलते स्वरुप ने ऊर्जा की बढ़ती मांग को प्रेरित किया है. इसका अंतिम परिणाम वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और जल प्रदूषण के रूप में होता है. भारत की पर्यावरणीय समस्याओं में विभिन्न प्राकृतिक खतरे, विशेष रूप से चक्रवात और वार्षिक मानसून बाढ़, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती हुई व्यक्तिगत खपत, औद्योगीकरण, ढांचागत विकास, घटिया कृषि पद्धतियां, और संसाधनों का असमान वितरण हैं,. एक अनुमान के अनुसार खेती योग्य भूमि का 60% भूमि कटाव, जलभराव और लवणता से ग्रस्त है. यह भी अनुमान है कि मिट्टी की ऊपरी परत में से प्रतिवर्ष 4.7 से 12 अरब टन मिट्टी कटाव के कारण खो रही है. 1947 से 2002 के बीच, पानी की औसत वार्षिक उपलब्धता प्रति व्यक्ति 70% कम होकर 1822 घन मीटर रह गयी है तथा भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश में एक समस्या का रूप ले चुका है. भारत में वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का 18.34% (637,000 वर्ग किमी) है. देश भर के वनों के लगभग आधे मध्य प्रदेश (20.7%) और पूर्वोत्तर के सात प्रदेशों (25.7%) में पाए जाते हैं; इनमें से पूर्वोत्तर राज्यों के वन तेजी से नष्ट हो रहे हैं. वनों की कटाई ईंधन के लिए लकड़ी और कृषि भूमि के विस्तार के लिए हो रही है. यह प्रचलन औद्योगिक और मोटर वाहन प्रदूषण के साथ मिल कर वातावरण का तापमान बढ़ा देता है जिसकी वजह से वर्षण का स्वरुप बदल जाता है और अकाल की आवृत्ति बढ़ जाती है. कि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि सालाना गेहूं की पैदावार में 15-20% की कमी कर देगी. एक ऐसे राष्ट्र के लिए, जिसकी आबादी का बहुत बड़ा भाग मूलभूत स्रोतों की उत्पादकता पर निर्भर रहता हो और जिसका आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास पर निर्भर हो, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं. पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे नागरिक संघर्ष में प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे शामिल हैं - सबसे विशेष रूप से वन और कृषि योग्य भूमि. हमारी सभ्यता एवं संस्कृति में तो पेड़ पौधों एवं जानवरों का काफी महत्व दर्शाया गया है। कई अवसरों पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है तो कई जानवर तो भगवान के वाहन भी हैं। अतः हमारे देश में इन्हें संवैधानिक अधिकार प्रदान करने हेतु ज्यादा गहराई से सोचा जाना चाहिए। हमारे यहां वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु कई कानून एवं अधिनियम हैं परंतु उनके कोई संवैधानिक अधिकार नहीं हैं। जीवों के अधिकार का कानून लागू होने पर यह संभव है कि पेड़ों को काटने पर हत्या का मामला दर्ज हो। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी चाहिए कि वह मानव अधिकार घोषणापत्र के साथ-साथ प्रकृति के अधिकार का भी कानून बनवाए एवं सदस्य देशों में इसका पालन भी करवाए। कुछ ही महीनों बाद देश में संसदीय चुनाव होने वाले हैं क्या कोई राष्ट्रीय दल इस संबंध में सोचेगा

सुरेश शर्मा (प्रधान संपादक)

बिहार को महामहिम...

उत्पादकता प्राप्त करने वाले पुरूष कृषक वर्ग में समस्तीपुर जिला अंतर्गत खानपुर प्रखंड के ईलमासनगर ग्राम के मो० जहिद खान एवं महिला कृषक वर्ग में समस्तीपुर जिला अंतर्गत समस्तीपुर प्रखंड के सिलौत ग्राम की श्री मति कल्पना प्रकाश को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया एवं प्रत्येक कृषक को प्रशस्ती पत्र से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा गेहूँ में क्रमषः 128.20 क्वींटल एवं 106.00 क्वींटल प्रति हे० उत्पादकता प्राप्त की गई है। दोनों कृषकों को एक-एक लाख रूपये की राशि भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। वर्ष 2012-13 में पूरे राज्य में गेहूँ का उत्पादन 61.74 लाख मे०ट० हुआ तथा उत्पादकता 27.97 क्वीं प्रति हे० प्राप्त हुई है। वर्ष 2009-10 में जहाँ गेहूँ का उत्पादन मात्र 44.03 लाख मे०ट० एवं उत्पादकता 20.81 क्वीं० प्रति हे० रहती थी वहीं वर्ष 2012-13 में उत्पादन एवं उत्पादकता में आषातीत बढ़ोत्तरी हुई है। यह उपलब्धि कृषि रोड मैप के तहत कृषि विभाग द्वारा लगातार चलाये जा रहे समयबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों के कारण हासिल किया जा सका है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये विगत तीन वर्षों से बड़े पैमाने पर श्री विधि से धान एवं गेहूँ की खेती, जीरो टिलेज विधि से गेहूँ की खेती, हरी चादर योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। इस उपलब्धि में सबसे अधिक योगदान बिहार के प्रगतिषील कृषकों का है जिनके अथक परिश्रम से राज्य को 'कृषि कर्मण पुरस्कार' प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। कृषकों द्वारा श्री विधि से धान की खेती एवं संकर किस्म के धान को बड़े पैमाने पर अपनाया गया, जिसके कारण धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में आषातीत सफलता प्राप्त हुई है। गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में भी वैसे प्रगतिषील कृषकों का बड़ा योगदान रहा जिनके द्वारा श्री विधि एवं जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती को अपना कर आषातीत सफलता प्राप्त हुई है।

शिप्रा का बैक वॉटर...

वाटर के सामने से दर्जनों हाथ मिट्टी हटाते जा रहे थे। पानी आगे बढ़ता जा रहा था। ठीक 11 बजकर 11 मिनट पर जैसे ही शिप्रा का बैक वॉटर नर्मदा से जाकर मिला तो नर्मदा माई के जयघोष के नारे गूंज उठे। संगम स्थल पर जैसे ही दोनों नदियों का मिलन हुआ तो पूजा-अर्चना का दौर शुरू हो गया। यहां मौजूद लोगों ने संगम स्थल पर एक पत्थर को शिवलिंग का स्वरूप मानते हुए स्थापित किया और पुष्प मालाएं अर्पित की। तकनीकी आधार पर अभी पूरी तरह से नर्मदा के शिप्रा तक पहुंचने में करीब 12 घंटे और लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि, जहां मिलन हुआ है, वहां से ऊंचाई का रास्ता है और दूरी भी अधिक है। इस स्थिति में पानी की गति धीमी ही रहेगी।

भागीरथ प्रयास...

गुजरने वाली खोदो नदी में सालों भर पानी रहता है। ग्रामीणों ने उसका पानी गांव तक पहुंचाने के लिए नदी के एक किनारे को काट डाला। फिर वहां से गांव तक खुदाई करते हुए बढ़े। एक महीने में एक किमी लंबा नाला तैयार हो गया और पानी गांव तक पहुंच गया। उसे तालाबों में जमा किया गया है। तालाबों के पानी से गांव के खेतों की भरपूर सिंचाई होने लगी और गांव में हरियाली छा गई। ग्रामीणों का कहना है कि वहां पहले पानी की काफी किल्लत थी। उन्होंने खोदो नदी के पानी को गांव तक पहुंचाने के लिए नाला बनाने की योजना बनाई। कुछ ग्रामीणों ने खुदाई का काम शुरू किया। धीरे-धीरे लोग इससे जुड़ते गए। बच्चों से बुजुर्गों तक ने हाथ बंटाया, तो एक माह में ही नाला बनकर तैयार हो गया।

सिंचाई ठेकों में...

विदर्भ सिंचाई विकास निगम के तहत सांसद संचेती की कंपनियों को ठेके मिले हैं। दमानिया का आरोप है कि संचेती ने कंपनियों के नाम बदलकर दस्तावेजी जोड़-तोड़ के माध्यम से 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। शक्ति कुमार एम. संचेती कंपनी का नाम बदलकर एसएमएस इंफ्रा कंपनी बनायी गई।

किसान मित्र

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियमः प्रावधान एवं अपेक्षाएं

डॉ. अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि प्रसार
सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान

प्रश्न : पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है ?

उत्तरः कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला व्यापक तथा प्राचीन उद्यम है। 1960 से कृषि क्षेत्र में आई त्वरित बढ़ोतरी जिसके कारण उत्पादन प्रणाली के संचरण तथा पौधों में अनुवांशिक सुधार जैसे कारकों से भारतीय कृषि में बदलाव आया। निश्चित रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद से कुछ हद तक अनुवांशिक विविधता में कमी आई। अनुवांशिक विविधता के नुकसान को रोकने और कृषि बढ़ोतरी को बनाये रखने तथा साथ ही भारत को अधिकतम लाभ पहुँचाने की स्थिति में लाने के लिये बहुत से कदमों की रूपरेखा तैयार की गयी जिनमें से एक कदम ''पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिकार'' के भारतीय अधिनियम को वर्ष 2001 में लागू करना हैं । दीर्घावधि में इस अधिनियम में बीज उद्योग को फलने–फूलने तथा किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीजों और पौध–सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार ने 2001 में ''पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम'' लागू किया तथा इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए सन् 2003 में विनियम निर्धारित किए। यह अधिनियम पौधा किस्मों के संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अधिनियम में नई किस्मों के विकास हेतु पादप आनुवंशिक संसाधन सामग्री के संरक्षण, उसमें सुधार और उसे उपलब्ध कराने में कृषकों के अधिकारों को मान्यता दी गई है और साथ ही यह भी माना गया है कि कृषक भी नई किस्मों के खोजकर्ता है।

प्रश्न : इस अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं ?

उत्तरः ''नई किस्मों के विकास हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, उनमें सुधार और उन्हें उपलब्ध कराने में किसी भी समय किए गए योगदान के लिए कृषकों के अधिकारों को पहचानना और उनकी रक्षा करना'', ''इसके अतिरिक्त त्वरित कृषि विकास के लिए पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना'', ''पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना और नई किस्मों के प्रजनन के लिए निवेश को बढ़ावा देना'' तथा ''बीज उद्योग की वृद्धि को सुगम बनाना'' इस अधिनियम के उद्देश्य हैं ।

प्रश्न : अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

उत्तरः इस अधिनियम के अंतर्गत सभी संबंधित पक्षों को कुछ अधिकार प्राप्त है जो इस प्रकार हैं :

प्रजनक के अधिकार

किसी पंजीकृत प्रजनक को अपने उत्पाद के उत्पादन, उसकी बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात का एकमात्र अधिकार होगा। विद्यमान किस्म के मामले में जब तक प्रजनक या उसका उत्तराधिकारी अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करता है, केन्द्र सरकार और उन मामलों में जहाँ उस विद्यमान किस्म को राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया हो या बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 (1966 का 54) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया हो, वहाँ ऐसे अधिकारों के लिए केन्द्र या राज्य को स्वामी माना जायेगा।

अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार

अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोगों या अनुसंधान सम्बंधी उद्देश्यों अथवा अन्य नई किस्में सृजित करने के उद्देश्य से विविधता के स्त्रोत का आरंभ करने हेतु किसी पंजीकृत पौधा किस्म के उपयोग का अधिकार होगा, लेकिन वह किसी अन्य किस्म के व्यावसायिक उत्पादन के लिए, किसी संरक्षित किस्म का बार–बार उपयोग नहीं कर सकता।

प्रश्न : पौधा किस्मों का पंजीकरण कैसे एवं किस आधार पर होगा ?

उत्तरः पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV & FR Authority) उन सभी वानस्पतिक वर्गीकरण को घोषित करेगा जिनकी किस्मों का पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण के लिये प्रस्तावित किस्म में स्पष्ट भिन्नता, समरूपता तथा स्थायित्व/टिकाऊपन होना आवश्यक है। जिसके परीक्षण के लिये केन्द्र स्थापित किये गये हैं। किस्मों के पंजीकरण के लिये प्रार्थना पत्र की रूपरेखा बना ली गयी है। उसी रूपरेखा के अनुसार मांगी गयी जानकारी को उपलब्ध कराना होगा।

किस तरह की पौधा किस्में पंजीकरण के योग्य होंगे

जो किस्में नवीनता, स्पष्टभिन्नता, समरूपता तथा टिकाऊपन के पैमाने पर सही पायी जायेगी वही पंजीकृत होगी।

किसानों या समुदायों की जानकारी में हों या उगायी जाती हों या बीज अधिनियम 1966 के विभाग–5 के अन्तर्गत घोषित हो चुकी हों, इसमें किसान की किस्म भी हो सकती है। ये किस्में एक विशेष समय सीमा के अन्दर ही पंजीकृत होंगी।

किसान की किस्म– इसका अर्थ है कि वह किस्में जो किसानों या समुदायों द्वारा विकसित करके परम्परागत रूप से उगाई जाती रही हों। इसके अलावा वह किस्में जो वन्य जैव सम्पदा या आधार प्रजाति से निकाली गयी हो जिसके बारे में किसान समुदाय जानकारी रखते हों।

प्रारम्भिक स्त्रोत से उद्गामित किस्म वह किस्में जो किसी प्रचलित किस्म से या किस्मों के आपसी सम्मिलन से निकाली गयी हो।

नवीनता–पंजीकरण के लिये आवेदन करने की तारीख के एक साल से पहले भारत में इस किस्म का बीज व्यावसायिक प्रयोग के लिये बेचा न गया हो। देश के बाहर चार साल से पहले बेचना न गया हो।

स्पष्टभिन्नता–किस्म ऐसी हो जो कम से कम एक आवश्यक गुण के लिये अन्य प्रचलित किस्मों से अलग हो।

समरूपता–किस्म, जिस गुण के कारण स्पष्ट रूप से भिन्न दिखायी देती है, उस गुण के लिये तथा अन्य आवश्यक गुणों के लिये समरूपता होनी चाहिये अर्थात् उन गुणों के लिये किस्म के अन्दर विविधता नहीं होनी चाहिए।

टिकाऊपन–आवश्यक गुणों के लिये किस्म में टिकाऊपन भी होना चाहिये अर्थात् बार–बार उगाने पर भी गुणों की स्थिरता बनी होनी चाहिये।

किसान संरक्षित जननद्रव्य और पादप नवीन प्रजातियों के बीच एक निरन्तरता है क्योंकि दोनों एक–दूसरे पर निर्भर है। किसान अथवा उनके समुदाय को उनके बीजों अथवा पौध सामग्री को रखने, इस्तेमाल करने, बदलने, हिस्सेदारी करने तथा बेचने का अधिकार है।

वह किस्म जो कि अन्य किस्म से सर्वधा विशिष्ट (डी.) तथा जिसकी उपस्थिति आवेदन करते समय सामान्य जानकारी का एक विषय है और यह पर्याप्त रूप से एकरूप (यू.) तथा स्थिर (एस.) अथवा ;क्च्द्ध संक्षेप में संबंधित किस्म को पंजीकरण हेतु परखा जाना है।

प्रश्न : किस्मों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है ?

उत्तरः ऐसी पौधा किस्मों को पंजीकृत करके सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत की गई जिनमें नवीनता, विशिष्टता, एकरूपता व स्थायित्व का गुण हो। नई किस्मों, भू–प्रजातियों, लोक किस्मों, कृषक किस्मों, अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी) को पंजीकृत करके सुरक्षित किया जा सकता है। पौधा किस्म पंजीकरणः प्राधिकरण के पौधा किस्म पंजीकरण हेतु मुख्यालय में पौधा किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जा रहा है। इस रजिस्टर में पंजीकृत पौधा किस्मों के नाम, उनके प्रजनकों के नाम, पते व अधिकार तथा विवरण दर्ज किए जाते हैं।

जीन बैंक : इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों को पूरी अवधि तक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्राधिकरण द्वारा एक राष्ट्रीय जीन बैंक तैयार किया गया है। पंजीकृत किस्म का आवेदक, यदि पंजीकार या रजिस्ट्रार चाहेगा तो पंजीकृत बीज को इस जीन बैंक से पुनर्जीवन प्रदान करेगा।

बीज जमा करने की प्रक्रिया

बीज की उस मात्रा और उस विधि जो विशिष्टता, एकरूपता व स्थायित्व हेतु परीक्षण करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र देते समय आपूर्त की जानी है, का विवरण प्रत्येक फसल के लिए विशिष्टता, एकरूपता व स्थायित्व करने के लिए दिशा–निर्देशों में दिया गया है और इसे भारतीय पौधा किस्म जरनल में भी प्रकाशित किया गया है।

प्रश्न : इस अधिनियम में कृषकों के क्या अधिकार हैं ?

उत्तरः कृषि की दीर्घ और प्राचीन परंपरा के अंतर्गत किसानों ने विशिष्ट परीक्षणों तथा उत्पादों के मूल्य हेतु विभिन्न प्रकार के पौधों का चयन किया है। उन्होंने जंगली और खेती के लिए उपयुक्त बनाए गए दोनों प्रकार के जननद्रव्यों से किस्मों को चुना है, उन्हें सुधारा है और उनका संरक्षण किया है। अतः यह स्पष्ट है कि कृषकों और कृषक समुदाय ने नई किस्मों के विकास में अपना योगदान दिया है और साथ ही किस्मों के सुधार में उनका बौद्धिक योगदान भी है। यदि कृषक की कोई भी किस्म पीपीवी एवं एफआर अधिनियम 2001 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों व विनियमों में बताए गए विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व के मानदण्डों को पूरा करती है तो उसे पंजीकृत किया जायेगा।

1.किसानों को संरक्षित किस्म के बीज सहित अपनी किस्म को बचाने, उसका उपयोग करने, बोने, दुबारा बोने, उसका विनियम करने, उसकी भागीदारी या बिक्री का वैसा ही अधिकार होगा, जैसा इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व था। तथापि, किसी किसान को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी संरक्षित किस्म के ब्राण्ड युक्त बीज की बिक्री का अधिकार नहीं होगा।

2. किसानों को पारंपरिक किस्मों का प्रजनक, संरक्षक, परिरक्षक और उगाने वाला माना जाएगा।

3. किस्मों के विकास और भू–प्रजातियों के संरक्षण के लिए कृषकों को मान्यता प्रदान की जाएगी व उन्हे पुरस्कृत किया जाएगा।

4. प्रजनक, कृषकों को निश्चित स्थितियों में किसी किस्म के संभावित निष्पादन के संबंध में बताऐंगे। यदि प्राप्त उपज, बताई गई उपज से कम है तो किसानों को बताई गई उपज व प्राप्त हुई कम उपज के बीच के अंतर की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

5.अज्ञानतावश अधिनियम का उल्लंघन होने पर किसानों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

6.प्राधिकरण द्वारा किसानों से किसी भी कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रश्न : इस अधिनियम में समुदाय के क्या अधिकार हैं ?

उत्तरः 1 भू–प्रजातियों और वन्य प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में पारंपरिक समुदायों की भूमिका को मान्यता प्रदान करना।

2 किसी किस्म के विकास में ग्राम अथवा स्थानीय समुदायों के योगदान की प्रतिपूर्ति करना और

3 पौधा किस्म संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि निर्धारित करना और जीन निधि में वह राशि जमा करना।

अधिकारों का उल्लंघन

अधिकारों के उल्लंघन आदि के लिए किए जाने वाले दंडात्मक प्रावधानों और दंडो का विवरण अधिनियम 2001 से प्राप्त किया जा सकता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में एक न्यायाधिकरण पंजीकार होगा तथा उसे इस अधिनियम को लागू करने हेतु कुछ वैधानिक अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अज्ञानतावश अधिकार उल्लंघन के विरूद्ध सुरक्षा

अधिनियम की धारा 43 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कृषक पर इस अधिनियम के अंतर्गत विशिष्टकृत किए गए ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुकदमा नही चलाया जा सकता जो उससे अनजाने में हुए हों। तथापि, उसे न्यायालय में यह सिद्ध करना होगा कि वह ऐसे अधिकार के अस्तित्व से अनभिज्ञ था।

शुल्क से छूट

कृषकों को पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए वांछित डीयूएस परीक्षण शुल्क सहित सभी प्रकार के परीक्षणों के लिए अदा किये जाने वाले शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

चन्द्रशूर (लेपीडियम सटाइवम)

आई. एस. यादव, ओ. पी. यादव एवं जे. एस. हुड्डा
औषधीय, सगंध एवम् अल्प प्रयुक्त पौध संभाग
अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग
सी. सी. एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार – 125 004

चन्द्रशूर क्रुसीफेरी कुल का सदस्य है, जिसे असारिया, आरिया, हालिम, अलिदा तथा असीलया नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में इसे व्यावसायिक स्तर पर उगाया जाता है। इसका पौधा 50–100 से. मी. ऊँचा और बीज लाल रंग के बेलनाकार होते हैं। इसकी खेती रबी मौसम में की जाती है।

औषधीय उपयोगः चन्द्रशूर को अच्छी बढ़वार, लम्बाई बढाने एवं सुदृढ़ता के लिए बच्चों को दूध के साथ दिया जाता है। पाचन सम्बन्धी रोग, नेत्र रोग, मूत्रशुद्धि, दस्त साफ में षि प्रयोग करते है। पौधा अस्थमा निरोधक, खूनी बवासीर में व पत्ती/पर्ण एंटीस्कारबूटिक, उत्तेजक है। स्त्री प्रसव उपरांत टानिक के रुप में और दूधारु पशुओ में दूग्ध उत्पादन बढाता है। पौधे में कैरोटिन एवं ग्लूकोसीनोलेट पाया जाता है तथा बीज में सिनापिक अम्ल एवं सिनापिन होता है।

जलवायुः समशीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।

भूमिः उत्तम निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी जिसका पी एच मान सामान्य हो, उपयुक्त पाई गई है। यह हल्का उसरपन या अम्लीयता भी सहन कर सकता है।

खेत की तैयारीः खेत को एक दो बार हैरो चलाकर समतल करें। बीज बहुत छोटे होते हैं तथा ढेलें होने पर बीज दब जाएगें और अंकुरित नहीं होगें।

बीज दरः एक एकड़ के लिए 2 कि. ग्रा. बीज आवश्यक है।

बिजाई का समयः अक्तूबर–नवम्बर माह उत्तम है। इसको 15 दिसम्बर तक षि बोया जा सकता है।

बिजाई का तरीकाः लाईनों के बीच 30 सैं.मी. का अन्तर रखें तथा बीज 1.0 से 1.5 सैं. मी. गहराई से ज्यादा न डाले।

खाद एवं उर्वरकः 8–10 टन गोबर की खाद खेत तैयारी प्रति एकड़ के हिसाब से डालें।

सिंचाईः इसे असिंचित अवस्था में सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। यदि एक या दो बार सिंचाई की जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। बीजाई के तुरंत बाद व दूधिया अवस्था में पानी अवश्य लगाएं।

निराई व गुड़ाईः एक या दो गुड़ाई कसोले द्वारा बहुत होती है, क्योंकि तेजी से विकास होने से खेत को आच्छादित कर लेती है।

कीट एवं रोग नियंत्रणः यदि पाऊडरी मिल्ड्यू की शिकायत मिलें तो सल्फर डस्ट के द्वारा नियंत्रण करें। फसल में कीट (तेले) का प्रकोप हो तो मैलाथियान/एण्डोसल्फान 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।

कटाईः चन्द्रशूर की फसल 110–120 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पत्तियाँ जब पीली पड़ने लगें एवं बीज लाल रंग का हो जाए तो कटाई के लिए उत्तम समय है।

पैदावारः एक एकड़ भूमि से 6–7 क्विंटल बीज की उपज प्राप्त हो जाती है।

आय–व्ययः

कुल आय : 11,000–13,000 रु प्रति एकड़

कुल खर्चः 1,500–2,000 रु प्रति एकड

शुद्ध आय : 9,000–11,500 रु प्रति एकड

विपणनः पशु आहार होने के कारण इसका बाजार सरलता पूर्वक मिल जाता है। नीमच, रतलाम एवं मंदसौर की मंडियो में आसानी से 1,800–2,000 रु प्रति क्विंटल की दर से बीज बिक जाता है।

सृष्टि एग्रो ने किया...

तथा बाबू लाल सैनी का अभिनन्दन किया गया! इस कार्यक्रम में प्रो ए. के .पाठक ,डा सुमन खंडेलवाल ,डा विकास आर्य व डा बी. एल . मीणा ने अपने विचार व्यक्त किये साथ ही इस संघोष्ठी मे किसानो की संख्या उनकी जागरूकता का प्रमाण दे रही थी !

चावल, गेहूं व दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान

खाद्यान्न उत्पादन 26.32 करोड़ टन होने की उम्मीद अनुकूल मौसम और बुवाई क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी से चालू फसल वर्ष (2013-14) के दौरान देश में चावल, गेहूं और दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन 2.3 फीसदी बढ़कर २६.३२ करोड़ टन रिकॉर्ड होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2013-14 में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन 956 लाख टन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 2012-13 में गेहूं का 935.1 लाख टन का उत्पादन हुआ था। इसी तरह से वर्ष 2013-14 में चावल का रिकॉर्ड उत्पादन 10.61 करोड़ टन होने का अनुमान है जबकि पिछले साल 10.52 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार 197.7 लाख टन होने का अनुमान है। साथ ही कपास का उत्पादन भी वर्ष 2013-14 में 356 लाख गांठ (एक गांठ-170 किलो) होने का अनुमान है। दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2013-14 में देश में खाद्यान्न की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार 26.32 करोड़ टन होने का अनुमान है जबकि फसल वर्ष 2012-13 में 25.71 करोड़ टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2013-14 में दलहन की पैदावार बढ़कर १९७.७ लाख टन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2012-13 में 183.4 लाख टन दालों की पैदावार हुई थी। रबी दलहन की प्रमुख फसल चने की रिकॉर्ड पैदावार 97.9 लाख टन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 88.3 लाख टन की पैदावार हुई थी। अरहर की पैदावार भी रिकॉर्ड 33.4 लाख टन होने का अनुमान है। तिलहनों की पैदावार वर्ष 2013-14 में बढ़कर 329.8 लाख टन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2012-13 में 309.4 लाख टन तिलहनों की पैदावार हुई थी। तिलहन की प्रमुख फसलों सरसों की पैदावार बढ़कर 82.5 लाख टन और मूंगफली की पैदावार 91.4 लाख टन होने का अनुमान है। हालांकि सोयाबीन की पैदावार पिछले साल के 146.6 लाख टन से कम होकर 124.5 लाख टन ही होने का अनुमान है। वर्ष 2013-14 में मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा और मक्का का उत्पादन बढ़कर ४१६.४ लाख टन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2012-13 में 400.4 लाख टन का उत्पादन हुआ था। मोटे अनाजों में मक्का की रिकॉर्ड 232.9 लाख टन की पैदावार होने का अनुमान है। ज्वार की पैदावार 55.3 लाख टन और बाजरे की पैदावार 88 लाख टन होने का अनुमान है। दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार गन्ने का उत्पादन पिछले साल के 3,412 लाख टन से बढ़कर 3,459.2 लाख टन होने का अनुमान है। जूट का उत्पादन इस दौरान 113 लाख गांठ (एक गांठ-180 किलो) होने का अनुमान है।

चीनी विनियंत्रण का भी नहीं मिला लाभ

अब तक चीनी कंपनियां कई दशकों से बरकरार नियंत्रणों से उद्योग को मुक्त कराने की कोशिश कर रही थीं। इस साल सरकार ने क्षेत्र को आंशिक नियंत्रण मुक्त कर भी दिया, लेकिन यह उद्योग दूसरे संकट में फंस गया है। ऐसे समय में जब गन्ने की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, तब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले साल 4 अप्रैल को चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त किया गया था। इसके बाद चीनी उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में आपूर्ति के अनुबंध करने के असवर खुले थे। लेकिन उद्योग इन मौकों को भी नहीं भुना पा रहा है। भारतीय बाजार में चीनी की कीमतें विनियंत्रण की घोषणा के बाद मई के सवीच्च स्तर से करीब 12 फीसदी गिर चुकी हैं, जबकि पिछले साढे तीन महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम 20 फीसदी टूटे हैं। अगर आज की तारीख में मिलें कच्ची चीनी का निर्यात करती है तो उन्हें कीमत 4,400 रुपये प्रति टन मिलती है, जो

उनकी उत्पादन लागत से भी कम है। वहीं घरेलू बाजार में सफेद चीनी की बिक्री पर उन्हें महाराष्ट्र जैसे राज्य में 3,500 रुपये प्रति टन और उत्तर प्रदेश में 7,000 रुपये प्रति टन का घाटा हो रहा है। पहले, जब मिलों से कहा गया था कि न कोई लेवी कोटा होगा और न ही मुक्त बिक्री कोटा। उद्योग अपनी योजना के मुताबिक खुले बाजार में चीनी बेच सकेगा। राज्यों से कहा गया था कि वे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए चीनी खुले बाजार से खरीदें। इससे उद्योग को बड़ी मात्रा में चीनी बिक्री की संभावना दिखाई दी थी। हालांकि ज्यादातर राज्यों ने चीनी आपूर्ति के लिए सहकारी मिलों से करार किया और निजी मिलों को मायूस होना पड़ा। विदेश में चीनी के भारी उत्पादन के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में तेजी से गिरावट आई है और इस वजह से निर्यात भी नहीं हो रहा है। आइसक्रीम और शीतलपेय बनाने वाली कंपनियां सफेद चीनी की बड़ी खरीदार होती है और निजी मिलें गमिऱ्यों के सीजन में आपूर्ति के लिए उनके साथ करार करती है। लेकिन यह मौका भी उनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि लगातार गिरती कीमतों और अगले कुछ महीनों के दौरान कीमतों का रुझान कमजोर रहने के अनुमानों के कारण मुश्किल से ही कोई आइसक्रीम व शीतलपेय कंपनी आपूर्ति का करार कर रही है।

जिंस एक्सचेंजों को अलग शुल्क लगाने की अनुमति

जिंस बाजार नियामक, वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने राष्ट्रीय स्तर के जिंस एक्सचेंजों को बाजारों को डिलिवरी और गैर-डिलिवरी आधारित जिंस अनुबंधों के लिए अलग-अलग कारोबार शुल्क लगाने की अनुमति दे दी। वर्ष 2009 से इन जिंस एक्सचेंजों को जिंस अथवा समयसीमा पर आधारित अलग-अलग कारोबार शुल्क लगाने से रोक दिया गया था। छह राष्ट्रीय स्तर के जिंस एक्सचेंजों को जारी दिशानिर्देशों में वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने कहा, 'पूर्व के निर्देशों को खत्म करते हुए, आयोग ने अब फैसला किया है कि जिंस एक्सचेंज अलग-अलग जिंसों के लिए अलग अलग कारोबार शुल्क लगा सकती है।' इसमें कहा गया है कि यह कदम बाजार को अधिक सक्षम बनाएगा और बाजार कारोबारियों को कम लागत का लाभ उठाने का अवसर देगा। एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स, एनएमसीई, आईसीईएक्स, एसीई और यूसीएक्स जैसे राष्ट्रीय एक्सचेंज को इस दिशानिर्देश को अपनाने का निर्देश दिया गया है और २० फरवरी तक अनुपालन रिपोर्ट जमा कराने को कहा गया। एफएमसी का मानना है कि अलग-अलग कारोबार शुल्क ढांचे को लागू करने का औचित्य यह है कि डिलिवरी आधारित अनुबंधों की पेशकश लागत, गैर-डिलिवरी आधारित अनुबंधों की पेशकश की लागत से कहीं अधिक है।

गुजरात के एक छोटे से गांव का आधुनिक सरकारी स्कूल, देखें तस्वीरें...

गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास स्थित जमीयतपुरा गांव राज्य में प्रसिद्ध है। गांव की प्रसिद्धि का कारण यहां का एक आधुनिक शासकीय स्कूल है। स्कूल में ब्लैकबोर्ड की जगह न सिर्फ 42 इंच की एलसीडी टीवी स्क्रीन है, बल्कि विद्यार्थिऱ्यों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट सरीखी अन्य व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं।

सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस स्कूल को आधुनिक बनाने का श्रेय सरकार को नहीं, बल्कि यहां के ग्रामीणों को जाता है। गांव के लोगों ने ही अपनी बचत की राशि से इस स्कूल को आधुनिक बनाया है, ताकि उनके बच्चे किसी भी मायने में शहरी बच्चों से पीछे न रहें।

इस स्मार्ट स्कूल का स्वर्पि पूरा करने वाले गोविंदभाई पटेल बताते हैं कि यह स्कूल ग्रामीणों और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कुछ दानदाताओं के सहयोग से तैयार हुआ है। स्कूल को आधुनिक बनाने में अब तक 12 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण आधुनिकता के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं।

गांवों में खुलेंगे नागरिक सुविधा केंद्र, 37 जगहों की पहचान

गुडग़ांव. गुडग़ांव में लोगों को उनके दरवाजे पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इस योजना को हरियाणा ई-सेवा स्कीम-2014 नाम दिया गया है। जिला में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जल्द खोलने के लिए सोमवार को डीसी शेखर विद्यार्थी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त सचिव विवेक अत्रे के साथ बातचीत की। प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्र में 37 सीएससी पर लोगों से जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, प्लॉट अथवा जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए सब-रजिस्ट्रार से अप्वाइंटमेंट लेना, इंतकाल दर्ज कराने के आवेदन, दर्ज इंतकाल की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का आवेदन, जमाबंदी की नकल प्राप्त करने तथा भूमि रिकॉर्ड की प्रति प्राप्त करने के आवेदन लोगों से लिए जाएंगे। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कार्य जैसे संपत्ति कर वसूलने, जन्म पंजीकरण के लिए आवेदन, जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने, जन्म के रिकॉर्ड में शुद्धिकरण के लिए आवेदन, जन्म प्रमाण-पत्र में नाम दर्ज कराने का आवेदन, मृत्यु पंजीकरण का आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले निशक्त प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी सीएससी में गांव में ही लिए जाएंगे और इन सेवाओं के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं होगी।

आंसू गैस के जवाब में किसानों ने पुलिस पर फेंकी गर्म दाल

अमृतसर. पावरकॉम की ओर से मांगों को लेकर बॉर्डर जोन के चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच उस समय झड़प हो गई, जब शुक्रवार दोपहर किसान जत्थेबंदियों ने पावर कॉम एक्सईएन एनएस माही, आईओ सुच्चा लाल समेत आठ मुलाजिमों को बंदी बना लिया। छुड़ाने के प्रयास के बीच पुलिस और किसानों के बीच रात करीब आठ बजे झड़प हो गई। इस दौरान किसान की मौत भी हो गई। लाश रात 11 बजे घटनास्थल से 500 मी. दूरी पर मिली। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उसके किसान संघर्ष समिति का बैच लगा हुआ था। करीब 72 किसान और 23 पुलिस मुलाजिम जख्मी हो गए।

पुलिस को जब मुलाजिमों को बंदी बनाने की बात पता चली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची। किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर को गिरफ्तार किया। नेता को गिरफ्तार होते देख किसान जत्थेबंदियां भड़क उठी।

पॉलिमर प्रसंस्करणकर्ताओं पर चोट

करीब एक साल तक लगातार कीमतों में कटौती की मार झेलने वाले पॉलिमर विनिर्माता पॉलिप्रोपलीन की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह सालाना रखरखाव के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा अपनी तीन इकाइयों को बंद करने का ऐलान और वैश्विक बाजार में कीमतों में आई मजबूती है। पॉलिथिलीन की कीमतें हालांकि इसी स्तर पर बनी रहने की संभावना है। इससे पहले हल्दिया पेट्रोकेमिकल ने सालाना रखरखाव के लिए अपनी इकाइयां बंद की थीं। उद्योग के सूत्रों ने आगाह किया कि घरेलू बाजार में मांग में बढ़ोतरी इसकी वजह नहीं है बल्कि पॉलिमर के प्रमुख उत्पादकों द्वारा क्षमता में की गई कटौती है। इसके अलावा चीन, ताइवान और जापान में मांग बढ? के चलते आयात महंगा हो गया है। इन देशों के बाजार 15 दिसंबर के बाद से निष्क्रिय हो गए थे और अब चीनी नव वर्ष के बाद खुल गए हैं। पॉलिमर खास तौर से पॉलिप्रोपलीन की वैश्विक कीमतें 100-120 डॉलर प्रति टन बढ़ गई हैं और अब यह 1400-1420 डॉलर प्रति टन पर बिक रहा है जबकि एक महीने पहले इसका भाव 1300-1320 डॉलर प्रति टन था। दूसरी ओर पॉलिविनाइल यानी पीवीसी विनिर्माता देश में इसका इस्तेमाल करने वालों के पास ज्यादा भंडार होने के चलते दुविधा में हैं, लेकिन कीमतें बढ़ाने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी व पूर्वी देशों से मांग में तेजी के चलते वैश्विक कीमतें बढ़ी हैं और यह पिछले कुछ दिनों में 970-990 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 1000-1020 डॉलर प्रति टन हो गई हैं। कंपनी के सूत्रों ने कहा - कीमतों में बढ़ोतरी के लिए विनिर्माता वैश्विक कीमतों व डॉलर की चाल का इंतजार करेंगे और एक हफ्ते में ऐसा हो सकता है। अगर वैश्विक कीमतों में बढ़त जारी रहती है और रुपये के मुकाबले डॉलर स्थिर रहता है या मजबूत होता है तो कीमतें बढ़ सकती हैं।

रुपये में स्थिरता से कपास के निर्यात में सुधार

भारतीय रुपये में लौटी स्थिरता की वजह से कपास निर्यात में तेजी लौटती दिख रही है। पिछले कुछ महीनों के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में स्थिरता आई है। पहले से ही कपास का बड़ा भंडार जुटाकर बैठे चीन ने भारत से कपास के आयात में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम से भी मांग में इजाफो हो रहा है। इसलिए चालू कपास वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान 60 लाख कपास गांठों (एक गांठ में 170 किग्रा कपास होता है) का निर्यात किया जा चुका है और आने वाले एक महीने में १० लाख गांठों का निर्यात होने की संभावना है। इस कपास वर्ष में कुल निर्यात 100 लाख गांठ तक रहने की उम्मीद है। कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) ने हाल ही में कपास वर्ष 2013-14 के लिए ९० लाख गांठों के निर्यात का अनुमान पेश किया था। पिछले साल कपास का कुल निर्यात 101.4 लाख गांठ था जबकि वर्ष 2011-12 में निर्यात 129.6 लाख गांठ था। हालांकि कुछ समय पहले चीन ने कपास के बजाय कपास के धागों के आयात को बढ़ावा देने का फैसला किया था, लेकिन इसके बावजूद चीन ने कुछ हद तक कपास की खरीद जारी रखी है। भारत से कपास निर्यात की स्थिति तय करने में रुपये की कीमत की भूमिका भी अब काफी अहम हो चुकी है। कुछ महीनों पहले तक रुपये की बढ़ती कीमत की वजह से कपास की कीमत चढ़ जाने के कारण कई आयातक भारतीय निर्यातकों से किए गए करार रद्द करने की फिराक में थे, लेकिन एक बार फिर से इन आयातकों ने करार को जारी रखने में रुचि दिखाई है।

MANUFACTURER AND BULK SUPPLIER OF FERTILIZERS PRODUCTS

UDIT OVERSEAS PVT. LTD.

137, INDUSTRIAL AREA DEHRA, TEHSIL-CHOMU, DISTT. JAIPUR

Products Range:-

- Micronutrients
- Bio Insecticide
- Mixture
- Bactericide
- Secondary Nutrients
- Wetting Agent
- Growth Promoters
- Zyme
- Bio Stimulants
- Tonic
- Bio Fungicide

WE WELCOME YOUR INQUIRY

CONTACT DETAIL

MR. ALOK BENIWAL

MOB: 9660258447

प्याज और लहसुन में खरपतवार और सिंचाई प्रबंधन

प्रकाश महला, डॉ. ओ.पी. गढ़वाल एवं डॉ. एम.आर. चौधरी

(उद्यान विभाग)

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

विश्व में भारत का प्याज और लहसुन उत्पादन में द्वितीय स्थान है, परन्तु उत्पादकता की दृष्टि से कई प्याज और लहसुन उत्पादक राष्ट्रों से बहुत पीछे है, जिसके प्रमुख कारणों में से उचित खरपतवार प्रबंधन का न होना है। प्रस्तुत लेख में प्याज और लहसुन उत्पादन की विस्तृत जानकारी दी गई है, जो कि उत्पादकों के लिए काफी उपयोगी होगी।

प्याज और लहसुन महत्वपूर्ण बागवानी फसलें है जिनका प्रयोग समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा वर्ष भर किसी न किसी रूप में जरूर किया जाता है। यह पौष्टिक होने के साथ–साथ विभिन्न औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण होती है। प्याज उत्पादकों और वैज्ञानिकों के सम्मिलित प्रयास से पिछले एक दशक में प्याज उत्पादन के क्षेत्रफल, उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि देखी गयी है। देश के सकल वार्षिक प्याज उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत भाग रबी मौसम में, 22 प्रतिशत भाग खरीफ मौसम में तथा 18 प्रतिशत भाग रांगड़ा मौसम का होता है। लहसुन की खेती रबी मौसम में ही होती है। पूरे विश्व में प्याज उत्पादन 73.23 मिलियन टन तथा 3.62 मिलियन हैक्टर क्षेत्र पर उगाया जाता है। विश्व के प्रमुख प्याज उत्पादक राष्ट्रों में से भारत 10.33 लाख हैक्टर भूमि पर 153.93 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करता है। भारत एक मुख्य प्याज उत्पादक देश होते हुए भी उत्पादकता की दृष्टि से बहुत ही पीछे है (15 टन/हैक्टर)। सन् 2011–12 में भारत में कुल 2.19 लाख हैक्टर भूमि पर लहसुन लगाया गया जिसमें 11.64 लाख मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हुआ।

प्याज और लहसुन की फसल में जड़ें उथली होती है, अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, जिससे कि सिंचाई हल्की किन्तु कई बार करनी पड़ती है, परिणामस्वरूप खरपतवार भी अधिक होते हैं। इसमें पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम होती है, जिससे कि निराई–गुड़ाई में असुविधा होती है, गांठें भी कट जाती है। इसके अतिरिक्त कभी–कभी मौसम की प्रतिकूलता (वर्षा इत्यादि) अथवा समय पर मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण भी निराई–गुड़ाई नहीं हो पाती जिससे कि फसल प्रभावित होती है। अनुसंधान और सर्वेक्षण द्वारा प्याज में समय पर खरपतवार प्रबंधन न होने के कारण 68 प्रतिशत तक पैदावार में कमी देखी गई है।

खरपतवार, फसल से पानी, पोषक तत्व, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे कि फसल हेतु आपूर्ति किए गये आदानों का अधिकांश भाग खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं, परिणामस्वरूप फसल की उचित वृद्धि और विकास नहीं होता, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न खरपतवार अनेक प्रकार के रोगाणुओं और जीवाणुओं को प्रश्रय भी प्रदान करते हैं, जिससे कि फसल में विभिन्न प्रकार के रोग और कीट आकर्षित होकर हानि पहुंचाते है। बाहर से लायी गई गोबर खाद तथा मिश्रित खादों द्वारा भी नये खरपतवार खेत में आते हैं, जिससे फसल में खरपतवारों की संख्या बढ़ती रहती है।

खरपतवार प्रबंधन

प्रमुख खरपतवारः–

प्याज की फसल रबी, खरीफ और रागड़ा मौसमों में उगाई जाती है, खरपतवार भी मौसम के अनुसार ही उगते है। प्याज में सामान्यतः दूब, बथुआ, जंगली चौलाई, कृष्ण नील, हिरनखुरी, अमरबेल, मकरा, छोटी दूद्धी, बड़ी दूद्धी, तिपतिया, लहसुआ, नूनखरा, भंगड़ा, सफेद सेंजी, पीली सेंजी, सतगठिया, भड़भड़ा (सत्यानाशी), पत्थरचट्टा, मकोय, कॉस, हजार दाना, कुकरौंधा, जंगली गाजर (गजरी), जंगली गोभी, जंगली प्याज (प्याजी), जंगली जई, खिसारी, पॉर्थेनियम तथा माठ इत्यादि पाये जाते हैं, किन्तु मोथा, तिपतिया, नूनखरा एवं पत्थरचट्टा का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है, जिससे हानि होती है। लहसुन रबी मौसम में लेते हैं तथा प्याज जैसे ही खरपतवार, लहसुन को भी हानि पहुंचाते है। उपलब्ध खरपतवार को ध्यान में रखते हुए खरपतवारनाशी का चयन करना इसीलिए आवश्यक है तथा विभिन्न भागों में अलग–अलग खरपतवारनाशक का प्रयोग प्रभावी सिद्ध होता है।

खरपतवार प्रबंधन :–

प्याज और लहसुन की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उचित समय पर खरपतवार नियंत्रण न किया जाये तो कितना ही उत्तम बीज हो, समय पर बुआई/रोपाई की जाये, संस्तुत खाद और उर्वरक प्रयोग किए गये हों, सामयिक सिंचाई और फसल सुरक्षा की गई हो, सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते है। अतः अच्छे उत्पादन हेतु समय पर खरपतवार नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण हेतु दो विधियां प्रचलित हैं :

- अरासायनिक नियंत्रण
- रासायनिक नियंत्रण

अरासायानिक नियंत्रण के अन्तर्गत फसल में खरपतवार को खुरपी द्वारा समय–समय पर निकालते रहते हैं, जिससे कि फसल को हानि न हो जबकि रासायनिक नियंत्रण के अन्तर्गत खरपतवारनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। प्याज में सामान्यतः पहली निराई–गुड़ाई रोपाई के 20–25 दिन पर तथा दूसरी 45–50 दिन पर की जाती है। गांठ बनना प्रारम्भ होने के पश्चात निराई–गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, गांठों के कटने की संभावना रहती है। इसके पश्चात यदि खरपतवार आ जाये तो उन्हें हाथ से उखाड़ देना चाहिए। निराई–गुड़ाई करने से खेत की मृदा मुलायम हो जाती है। भूमि में वायु के आवागमन से जड़ों का विकास भली–भांति होता है, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास भी अच्छा होता है तथा उत्पादन अधिक होता है। लहसुन में कलियां लगाने के 30–35 दिन बाद तथा 60–65 दिन बाद निराई–गुड़ाई करते है। गांठें बढ़ना शुरू होने के बाद फसल को नुकसान न हो तथा निराई–गुड़ाई के समय मिट्टी चढ़ाने से लाभ होता है।

प्याज तथा लहसुन में रासायनिक नियंत्रण हेतु। स्टॉम्प (पेन्डीमिथेलिन) अथवा गोल (ऑक्सीलोरोफेन) नामक खरपतवारनाशक बहुत प्रभावी और उपयुक्त पाये गये है। स्टॉम्प 2.5 से 3.5 लीटर/हैक्टर अथवा गोल 600–1000 मि.ली./हैक्टर की दर से पौध की रोपाई के 3 दिन पश्चात 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से खरपतवार कम निकलते हैं, तत्पश्चात प्याज में 35–40 दिन पर व लहसुन में 45–50 दिन पर एक बार निराई–गुड़ाई आवश्यक होती है। केवल खरपतनाशक प्रभावी नहीं है। अन्य खरपतवारनाशी जैसे– राट, वासालीन, ल्हासो, आदि खरपतवारनाशी की भी संस्तुतियां विभिन्न प्रदेशों में की गयी है। पोस्ट इमरजेन्स खरपतवारनाशी टरगासुपर 2 मि.ली. तथा गोल 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्याज लगाने के 15–20 दिन बाद छिड़कने से अच्छे परिणाम मिले है।

खरपतवारनाशक का छिड़काव कट–नोजल वाले पम्प से किया जाता है। छिड़काव करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होना आवश्यक होता है, जिससे ऊपरी सतह पर एक पतली परत बन सके। छिड़काव सुबह अथवा शाम को करना चाहिए। दोपहर में तापमान अधिक होने के कारण फोटो–आक्सीडेशन से हानि के कारण अपेक्षित और इच्छित नियंत्रण नहीं हो पाता है। खरपतवारनाशी का छिड़काव क्यारियों की मेड़ों पर तथा नालियों पर भी करना चाहिए।

वर्तमान समय में खरपतवार नियंत्रण हेतु आच्छादन (मल्चिंग) का प्रयोग बहुत प्रचलित है। खरपतवार नियंत्रण की यह एक जैविक विधि है जिसके अन्य लाभ भी होते हैं जैसे–भूमि अपरदन रोकने में सहायक होता है, पानी का वाष्पीकरण कम होता है, नमी की सुरक्षा होती है, भूमि का तापमान नियंत्रण होता है, भूमि के सूक्ष्म जीवाणुओं और केंचुओं हेतु उपयुक्त तापमान और वातावरण उपलब्ध होता है तथा भूमि की जीवांश मात्रा में भी वृद्धि होती है। आच्छादन हेतु फसल में भूमि की सतह पर सूखी घास–फूस, धान/गेहूं की पुआल, गन्ने की पत्तियां, बड़े वृक्षों की पत्तियां, लकड़ी का बुरादा या पॉलीथीन उपलब्धतानुसार प्रयोग की जा सकती है। दो रंग का जैसे अंदर से काला तथा ऊपर से सफेद रंग के प्लास्टिक मल्च से अच्छे परिणाम मिले हैं तथा थ्रिप्स का भी नियंत्रण होता है। प्याज बीजोत्पादन में भी आच्छादन का प्रयोग टपक सिंचाई के साथ लाभप्रद सिद्ध हुआ है। कुछ किसान प्याज के नर्सरी में बीज बोने से पहले या बोने के बाद खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं इससे अंकुरण प्रभावित होता है। यदि नर्सरी के लिए खरपतवारनाशी उपयोग करना हो तो बुआई से 20–25 दिन पहले प्रयोग होना चाहिए, जिससे खरपतवार नियंत्रण होकर अंकुरण प्रभावित न हो। खरपतवारनाशी खड़ी फसल में देने पर पौधे पीले दिखते हैं, लेकिन यह कुछ समय तक ही रहता है। यदि खरपतवारनाशी उचित मात्रा में प्रयोग किया जाये तो जमीन में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों पर कोई विपरीत परिणाम नहीं होता तथा भण्डारण में भी क्षति अधिक नहीं होती। खरपतवारनाशी के अच्छे परिणाम मिलने के लिए उनका प्रयोग करते समय भूमि में उचित नमी का होना जरूरी है। प्याज और लहसुन में 2–4–क जैसे खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्याज और लहसुन में भारी नुकसान हो सकता है।

सिंचाई प्रबंधन

पृथ्वी के जल–चक्र में नमी का चक्रण भूमि, समुद्र और वायुमण्डल में तारतम्य होता रहता है। इस जल–चक्र में किसी प्रकार के व्यवधान अथवा अव्यवस्था के कारण जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पानी का महत्व प्राणियों और वनस्पतियों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। मानव द्वारा प्रकृति से अंधाधुंध छेड़छाड़ और अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। जल सम्पदा को भी अपार क्षति पहुंची है। वर्तमान वर्षों में तीव्र औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के साथ–साथ जनसंख्या वृद्धि के सतत् दबाव के कारण पानी की आवश्यकता में कई गुना वृद्धि हुई है, जबकि जल–स्त्रोत सीमित है। परिणामस्वरूप पानी की उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है। भूमि का जल–स्तर निरंतर घटता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि जल–दोहन की यही स्थिति रहेगी तो वर्ष 2020 तक पीने के पानी का भी अकाल हो जायेगा। ऐसी स्थित में कृषि क्षेत्र और अन्य उपयोगों हेतु इसकी उपलब्धता का आकलन सहज ही किया जा सकता है। उपलब्ध जल का सबसे बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जबकि इसके उपयोग की न्यूनतम क्षमता भी इसी में है। सभी फसलों में पानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु उसका समुचित उपयोग करके, उत्पादन को अप्रभावित रखते हुए बहुत बचत की जा सकती है, जिसका उपयोग अन्य क्षेत्रों और फसलों हेतु किया जा सकता है।

पानी उतना दीजिए, जितना खेत समाय।
बहने पर खादें बहें, रूके जड़ें सड़ जाये।।

कृत्रिम विधि द्वारा भूमि (मिट्टी) में जल की आपूर्ति करने की प्रकिया को सिंचाई कहते है। फसल उत्पादन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके लिए समय–समय पर उसकी सिंचाई की जाती हैं। यदि समय पर सिंचाई नहीं की जाती है तो उत्पादन कम हो जाता है, जिससे लाभ के स्थान पर हानि होती है।

सिंचाई की आवश्यकता

पानी पौधों की उचित वानस्पतिक वृद्धि और विकास हेतु आवश्यक अवयव हैं जल भूमि से विभिन्न पोषक तत्वों के अवशोषण, संवहन और परिसंचरण में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। जल में भी कुछ पोषक तत्व अल्प मात्रा में पाये जाते हैं जो कि फसल को प्राप्त होते है। जल, प्रकाश–संश्लेषण द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है साथ–साथ पौधे तथा भूमि के तापमान–नियंत्रण में सहायक होता है। पौधों में होने वाली विभिन्न जैविक और कार्यिकी प्रक्रियाओं हेतु यह महत्वूपर्ण आदान है।

जल–प्रबंधन :–

प्याज तथा लहसुन में अन्य फसलों की अपेक्षा जल की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। सब्जियों के रंग, रूप एंव आकार को बनाये रखने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और वर्षा के असमान वितरण तथा मौसम विशेष (बरसात) तक सीमित होने के कारण अधिकांश सब्जियां सिंचाई द्वारा ही पैदा की जाती है। सतहीय और भूगर्भीय जल सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है। वर्षा की अनिश्चितता और उपलब्ध जल–स्त्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण जल उपलब्धता धीरे–धीरे घट रही है, जिससे जल–प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई।

आवश्यक जल की मात्रा :–

सब्जी वाली फसलों की सिंचाई समय पर करना बहुत आवश्यक है अन्यथा वृद्धि प्रभावित होती है, उत्पादन घट जाता है। सिंचाई प्रमुख रूप से निम्न कारकों पर निर्भर होती है :

(क) फसल–प्रजाति, संरचना, वृद्धि अवस्था, फसल अवधि, पौधों की संख्या और पैदा करने का समय (मौसम)
(ख) भूमि–मिट्टी की किस्म, संरचना
(ग) वातावरण–तापमान, आपेक्षित आर्द्रता, वायु वेग
(घ) कृषि क्रियाएं–खाद देना, निराई–गुड़ाई।

अवस्था जब सिंचाई आवश्यक है :–

(क) वानस्पतिक अवस्था :– जिसमें पौधे रोपाई के बाद स्थापित होते हैं अथवा बुआई के पश्चात अंकुरण होता है तथा पत्तियां निकलती है।

(ख) पुनरूत्पाद अवस्था :– जिसमें पौधे में फूल/फल बनते हैं, कंद/गांठो का विकास होता है। वानस्पतिक अवस्था में पौधे की वृद्धि होती है, अतः पानी की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती हैं, परन्तु पुनरूत्पाद अवस्था में फल, कन्द अथवा गांठों का विकास होता है अतः पानी की बहुत आवश्यकता होती है।

सिंचाई की विधियां :–

हमारे यहां अधिकांश सब्जियों की खेती मुख्यतः सिंचित फसल के रूप में की जाती है, जिसके लिए दो प्रणालियां प्रचलित हैं :

(अ) सतहीय सिंचाई प्रणाली :– इसमें पानी को स्त्रोत से नालियों द्वारा खेत तक पहुंचाया जाता है।

(ब) सूक्ष्म सिंचन प्रणाली :– वर्षा की अनिश्चितता तथा भूगर्भीय जल के अत्यधिक दोहन स`जल के समुचित प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव की गई, परिणामस्वरूप 'सूक्ष्म सिंचन प्रणाली' का विकास हुआ। यह प्रणाली सिंचाई की आधुनिक और नवीनतम तकनीक है जिसमें भूमि, पानी, मौसम और फसल का अध्ययन करके कम दबाव और नियंत्रण के साथ आवश्यकतानुसार एक समान पानी की आपूर्ति होती है। इस पद्धति द्वारा सिंचाई करने से पौधों को केवल उपयोग करने हेतु पर्याप्त पानी प्राप्त होता है, जिससे काफी पानी की बचत हो जाती है (30 से 50 प्रतिशत) जो कि अन्य क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के लिए प्रयोग की जा सकती है। एक समान पानी मिलने के कारण फसल की वृद्धि एक समान होती है, उत्पाद की गुणवत्ता भी अपेक्षाकृत उत्तम होती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत दो पद्धतियां प्रचलित हैं जो कि उपयोग में लाई जा रही है।

यह सिंचाई की आधुनिकतम प्रणाली है जिसमें 15–40 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है तथा उत्पादन में 20–40 प्रतिशत तक वृद्धि होती है। इसके अन्तर्गत 2 प्रणालियां विकसित की गई हैं :

(क) बूंद–बूंद या टपक सिंचन (ड्रिप) :–

- यह सिंचाई की नवीनतम तकनीक है, जिसमें पानी बूंद–बूंद के रूप में सीधे जड़ों और उसके आस–पास के वातावरण को प्राप्त होता है। पौधा सुगमतापूर्वक अवशोषित कर लेता है। यह भी दो प्रकार का होता है।
- ऑन–लाइन ड्रिप : इसमें ड्रिपर्स लैटरल के ऊपर आवश्यक, दूरी पर सुविधानुसार लगाये जाते है।
- इन–लाइन ड्रिप : इसमें लैटरल के अन्दर एक निश्चित दूरी पर निर्माण की अवधि में ही ड्रिपर्स लगा दिये जाते है।

ड्रिप सिंचन के लाभ :–

- पानी सीधे पौधों की जड़ों को प्राप्त होता है।
- पानी का वितरण पूरे क्षेत्र में समान रूप से होता है।
- फसल के अनुसार 30 से 50 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है।
- उत्पादन में 25 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि होती है, गुणवत्ता भी अपेक्षाकृत उत्तम होती है।
- खाद में 30 से 70 प्रतिशत तक बचत होती है।
- खरपतवार नियंत्रित रहते है।
- भूमि का कटाव नहीं होता है।
- क्षारयुक्त/लवणयुक्त अथवा अनुपयोगी पानी भी इस पद्धति में उपयोग किया जा सकता है।
- एक समान रूप और दबाव से पानी पहुंचने के कारण पौधे की वृद्धि एक जैसी और तीव्र गति से होती है।
- भूमि के अन्दर पानी और हवा का समन्वय होने के कारण पानी की कमी या अधिकता का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।
- परिपक्वता अपेक्षाकृत शीघ्र होती है।

(ख) फुहार या तुषार सिंचन (स्प्रिंकलर) :–

- इसमें पानी वर्षा के समान फुआर या तुषार के रूप में फसल तथा भूमि पर गिरता है।
- इसके लिए भूमि का समतल होना आवश्यक नहीं है तथा लगभग सभी सब्जी वाली फसलों के बीजोत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है।

कम सिंचाई के कारण समस्यायें :–

- पानी की कमी से प्रकाश संश्लेषण प्रकिया प्रभावित होती है जिससे पर्णहरित कम हो जाता है, पर्ण क्षेत्र भी घट जाता है।
- पानी की कमी से पर्ण–छिद्र (स्टोमेटा) बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोसर्त्जन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, पौधे की ताप नियंत्रण क्षमता प्रभावित होती है।
- पानी की कमी से भोज्य–पदार्थों के परिवहन में व्यवधान होता है।
- श्वसन–क्रिया की गति धीमी हो जाती है।
- पानी की कमी से एन्जाइम सक्रियता कम हो जाती है परिणामस्वरूप कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का विखण्डन शर्करा और एमीनो एसिड में होने लगता है।
- विभिन्न हारमोन्स का स्तर परिवर्तित हो जाता है।
- कम पानी के कारण पौधे और भूमि में अनेक परिवर्तन होते हैं परिणामस्वरूप वृद्धि कम हो जाती है, कभी–कभी पौधा मर जाता है।

अधिक सिंचाई के कारण समस्यायें :–

- अधिक पानी के कारण पौधे को क्षति पहुंचती है, मूल तंत्र को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, पौधे तथा भूमि में विषैले पदार्थ हो जाते हैं।
- ऑक्सीजन की कमी से जड़ों की पारगम्यता कम हो जाती है, जिसके कारण पानी और पोषक–तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है।

जल–उपयोग का आर्थिक पक्ष :–

- साधारणतया सिंचित फसलों का औसत उत्पादन प्रायोगिक उत्पादन से कम होता है, क्योंकि खाद–उर्वरक, फसल–सुरक्षा और सिंचाई का सर्वोत्तम गठजोड़ अधिकांश फसलों में कृषक को संस्तुति करने के लिए उपलब्ध नहीं है।
- सिंचाई के लिए व्यावहारिक रूप से निम्न तीन अवधारणायें प्रयोग में लाना चाहिए :

(क) फसल–आधारित अवधारणा :– पौधों की क्रांतिक अवस्था, पौधों की स्थिति, नमी प्रतिशत, पत्ती–तापमान के आधार पर कर सकते है।

(ख) वातावरण–अधारित अवधारणा :– वाष्पोत्सर्जन के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक सिंचाई पर जल की मात्रा भूमि–नमी में हुई कमी के अनुरूप की जाती है। इस प्रकार से सिंचाई का उचित निर्धारण करके सब्जी वाली फसलों का अपेक्षित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

"जैविक कृषि आज की आवश्यकता"

गंगाराम
विद्या वाचस्पति छात्र, पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी विभाग,

जैविक कृषि वह पद्धति है जहां प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखते हुए भूमि की संजीवता, जल की गुणवता, जैव विविधता आदि को बनाए रखते हुए व पर्यावरण एवं वायु को प्रदूशित किये बिना दीर्घकालीन व टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता है।। इस पद्धति में जीवांश एवं प्रकृति प्रदत संसाधनो एवं कार्बनिक अवशिष्ठ का यथा स्थान उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन व्यय कम होकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके एवं कृषक स्वालम्बन पर जोर दिया जाता है जैविक कृषि तीन मुख्य उद्देश्यों, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सामाकि एवं आर्थिक समता का संयोजन करती है। जैविक कृषि में उद्यान, जड़ी–बूटी, मिश्र कीट एवं स्वयं मनुष्य ये सभी अंग मिलकर कृषि संतुलन बनाये रखते है। भारत में 8 मई 2002 को ''राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम'' (छच्च्) क आरम्भ हुआ एवं इसके प्रथम चरण में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पाद के मानको को प्रस्तुत किया गया।

जैविक कृषि आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है क्योंकि फसलों, फल, सब्जियों आदि में अंधाधुंध खरपतवारनाशी व रसायनों का उपयोग किया जा रहा है जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और अनेक बिमारियों को न्योता देते है फसलों के मित्र कीटों एवं पर्यावरण संतुलन भी रसायनों के उपयोग से बिगड़ रहा हैं

जैविक कृषि के अन्तर्गत क्या करें, क्या न करें

(अ) कृषि एवं उद्यान :– क्या करें –

1.मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी/अधिकता जानने के लिए मिट्टी तथा जल का परीक्षण कराए।।
2.कृषकों द्वारा उत्पादित/प्रकृति प्रदत जैव अवशेष तथा बायो एजेन्ट के प्रयोग में निर्मित जैविक खादों, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी का प्रयोग करें
3.गहरी जुताई कर हरी खाद व केंचुए की खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें
4.जैव उर्वरकों (राइजोबियम, एजेटोबेक्टर, एजोस्पाइरिलम आदि) का प्रयोग रिफाटिश के आधार पर करें। रासायनिक तत्वों से मुक्त जल से सिंचाई करें।
5.वैज्ञानिक फसल चक्र अपनाऐं, फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश अनिवार्य रूप से करें।
6.फसलों/उद्यानिकी वृक्षो की उचित प्रजातियों के जैविक बीज/पौधों का प्रयोग करे।
7.फसलों/फल वृक्षों के रोग व कीट नियंत्रण हेतु जैविक तरल खाद/तरल कीनाशी बायो पेस्टीसाइड, जैविक बीजोपचार (सूर्यकिरण, गरम जल उपचार, अग्निहोत्री) जैसी परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग करें।
8.बीजों को बुवाई से पूर्व अनिवार्य रूप से जैव पद्धतियों द्वारा उपचारित करके ही बुवाई करें।
9.खरपतवार नियंत्रण हेतु समय–समय पर निराई–गुड़ाई, समय पर बुवाई रोपण, बुआई की सही पद्धति का चयन तथा अन्तः फसल पद्धति को अपनाऐं
10.मल्चिंग हेतु जैव अवशेष का प्रयोग करें। फसल अवशेष को खेत में ही मिट्टी में मिला दें।
11.कृषि वानिकी को अपनाऐं। जल संचयन (वाटर हारवेस्टिंग) को बढ़ावा देवें।
12.नाइट्रोजन स्थिरकारी पौधों यथा अकेशिया जैसे प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा देवें।
13.फसलों की कटाई भौतिक परिपक्वन अवस्था पर ही करें।
14.उत्पाद की समुचित सफाई, छंटनी एवं प्रसंस्करण करे तथा जैविक विधि से भण्डारित करे।
15.विविधिकृत कृषि को बढ़ावा देवें जैसे फसलोत्पादन के साथ–साथ पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, जड़ी–बूंटी उत्पादन आदि को अपनाऐं।
16.जैविक बाड़ (फेन्सिया) को बढ़ावा देवें। जल व भूमि संरक्षण हेतु प्राकृतिक पद्धतियों को अपनाऐं।

क्या नहीं करे –

1.रासायनिक उर्वरको/कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग न करें।
2.फलस अवशेष/जैव अवशेष को न जलावें।
3.कारखानों में प्रदूशित जल/सीवरेज जल से फसलों की सिंचाई न करें।
4.खेत की कम से कम जुताई कर मृदा की संरचना को कम से कम हानि पहुंचाए।
5.पर्यावरण प्रदूशित करने वाली पद्धतियों को न अपनाऐं।
6.मिश्र कीट/जन्तुओं को क्षति न पहुंचावें।
7.दलहनी/तिलहनी फसलों की कटाई जमीन की सतह से करें न की पौधों को जड से उखाड़े।
8.बिना मार्गदर्शन के नया जैविक उत्पाद प्रयोग में न लावें।

(ब) पशुपालन – क्या करें –

1.पशुओं से मानवता पूर्ण व्यवहार करें।
2.पशुओं एवं उनके रहने के स्थान को स्वच्छ आरामदेह एवं कीटाणु रहित रखें।
3.पशुओं को स्वच्छ जैविक चारा एवं दाना देवें।
4.पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार निर्धारित मानको के अन्तर्गत ही कार्य लें।
5.चारा फसलें, घास, चारा पौधों के रोपण उत्पादन को बढ़ावा देवें।
6.पशुओं को नांद विधि (स्टाल फीडिंग) से चारा दें।
7.शुष्क दुग्धशाला (ड्राई डेयरी) को बनवा देवे।
8.पशुओं के कीट, पिस्सू व पेट के कीड़ो का नियंत्रण जैविक

सबसे लंबा बकरा

कृषि वसंत प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में पाया जाने वाला अब तक का सबसे लंबा बकरा भी दिखाई दिया। इस बकरे की खासियत यह है कि इसमें तेजी से विकास होता है। प्रदर्शनी में 1.5 वर्ष की आयु वाला बकरा दिखाई दिया। इस बकरे की लंबाई 3 फीट से भी ज्यादा है। जमुनापारी नामक इस प्रजाति की बकरी 274 दिन में 277 लीटर दूध देती है। इसका वजन 43 किलोग्राम होता है और यह साल में दो बार बच्चे देती है।

तस्वीरों में देखें 2 फीट की गाय

कृषि वसंत प्रदर्शनी में सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र 2 फीट की गाय व 1.5 फीट का बैल दिखाई दे रहा है। पंगनुर नाम की यह प्रजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। समय के साथ-साथ इस प्रजाति के लुप्त होते जाने के कारण ही इसे प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। पंगनुर गाय की उम्र करीब 23 साल है। 130 किलोग्राम भार वाली यह गाय 272 दिन में 630 लीटर दूध देती है। इसके अलावा इसी प्रजाति का बैल भी पाया जाता है। जिसकी लंबाई करीब 80 सेंटीमीटर है।

16 किलो की मुर्गी

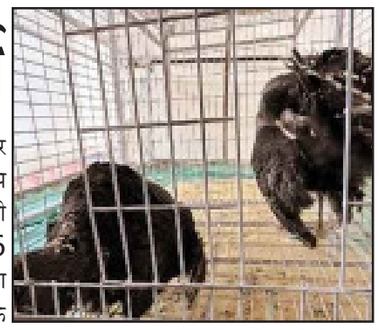

प्रदर्शनी में विश्व प्रसिद्ध 16 किलोग्राम भार वाली टर्की मुर्गी भी आकर्षण का केंद्र बनी है। यूरोप में पाए जाने वाली यह मुर्गी साल में 105 अंडे देती है। भूरे रंग की इस मुर्गी का भार अधिकतम 16 किलो तक होता है, जबकि इसी प्रजाति के मुर्गे का अधिकतम वजन 18 किलोग्राम होता है। टर्की के अंडों का रंग दूधिया होता है और इसके अंडे देने की उम्र महज 24 हफ्ते ही रहती है।

शेरों के मजे के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है यह शख्स

लोग शेर को देखकर ही कांप जाते हैं, मगर ब्रिटिश वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट एलेक्स लेरेन्टी शेरों को शांत करने के लिए उन्हें फुट मसाज देते हैं। इस फोटो में वे 9 साल के शेर जामू को फुट मसाज दे रहे हैं। कमाल की बात है कि वह भी इसका आनंद लेता है। मगर किसी और को उसे ऐसे नहीं छूने देता है। यह फोटो जोहान्सबर्ग के लायन पार्क में लिया गया है। 50 वर्षीय एलेक्स ऑक्सफोर्ड शायर से 1999 में दक्षिण अफ्रीका आ गए थे। एलेक्स कहते हैं, 'इस पार्क में 75 शेर हैं और मैं सभी को नाम से जानता हूं। ये जानवर मुझे समझते हैं, मगर औरों के लिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।'

मादा पशुओं के प्रमुख प्रजनन विकार

रिपीट ब्रिडिंग(पशु का बार-बार गर्मी में आना)

प्रजनन का यह विकार पशु पालकों तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पशु पालकों को पशु के गर्भ धारण ण कर पाने के कारण बहुत नुक्सान उठाना पड़ता हैं इसमें पशु दो या दो से अधिक बार गर्भाधान करने के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाता तथा अपने नियमित स्द्चक्र में बना रहता हैं सामान्य परीक्षण के दौरान वह लगभग नि:रोग लगता है रिपीट ब्रिडिंग के अनेक कारण हो सकते है जिनमें से निम्नलिखित कारण प्रमुख है:-

(क) पश की प्रजनन नली में वंशानुगत, जन्म से अथवा जन्म के बाद होने वाले विकार: -

इनमें प्रजनन नली के अंगों में किसी एक खंड का ण होना, अंडाशय का बरसा के साथ जुड जाना, अंडाशय में रसौली, गर्भाशय ग्रीवा का टेढ़ा होना(kinked cervix), डिम्ब वाहनियों में अवरोध का होना, गर्भाशय की अंदर की परत (endometrium) में विकार आदि शामिल है.

(ख) शुक्राणुओं, अंडाणु तथा प्रारम्भिक भूर्ण में वंशानुगत, जन्म जात तथा जन्म के बाद होने वाले विकार:-

इनमें काफी देर से अथवा मदकल के समाप्त होने पर गर्भाधान कराने के कारण अंडाणु का निषेचन योग्य समय निकल जाना, अंडाणु अथवा शुक्राणु में विकार,एक ही सांड के वीर्य का कई पीडियों में प्रयोग (breeding), शुक्राणु व अंडाणु में मेल न होना, मद काल की प्रारम्भिक अवस्था (early heat) में गर्भाधान कराना जिससे अंडाणु के पहुंचने तक शुक्राणु पुराने हो जाते है, आदि प्रमुख है.

(ग) पशु प्रबंध में कमियाँ: -

इनमें पशुपालक द्वारा पशु के मद काल में होने का सही पता न लगा पाना, अकुशल व्यक्ति से कृत्रिम गर्भाधान करना, पशु के कुपोषण तथा पशु में तनाव (strees) इत्यादि शामिल है.

(घ)अंत: स्रावी विकार: -

इनमें अंडाणु का अंडाशय से बाहर न आना (anovulation), फोलिकल का समय हो जाना (follicilar atressia) अंडाणु का अंडाशय से बाहर आना (delayed ovulation), सिस्टिकओवरी, कोरपस ल्युटियम का असक्षम होना (luteal insufficienc),(weak heat) आदि शामिल है.

(ड.)प्रजनन अंगों के संक्रामक रोग अथवा उनकी सूजन: -

इन् रोगों में ट्रायकोमोनास फीटस, विब्रियो फीटस, ब्रुसेलोसिस, आई.बी.आर-आई.पी.वी. कोरिनीबैक्टेरियम पायोजनीज तथा अन्य जीवाणु व विषाणु शामिल है इसमें गर्भाशय में सूजन हो जाती है जिससे भ्रूण की प्रारम्भिक अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है.

उपचार व निवारण:

1. रिपीट ब्रीडर पशु का परीक्षण व उपचार पशु चिकित्सक से करना चाहिए से करना चाहिए ताकि इसके कारण का सही पता लग सकें ऐसे पशु को कई बार परीक्षण के लिये बुलाना पड़ सकता है क्योंकि एक बार पशु को देखने से पशु चिकित्सक का किसी खास नतीजे पर पहुंचना कठिन होता है. अंडाशय से अंडाणु निकलता है या नहीं इसका पता पशु का मद काल में तथा मद काल में तथा के 10 दिन के बाद पुन: परीक्षण करके लगाया जा सकता है. दस दिन के बाद परीक्षण करने पर पशु की और भी बहुत सी बीमारियों का पता पशु चिकित्सक लगा सकते है. अत: पशु चिकित्सक की सलाह पर पशु आल्क को जानवर को उसके परीक्षण तथा इलाज के लिये अवश्य लाना चाहिये.

2. डिम्ब वाहनियों में अवरोध जोकि रिपीटब्रीडिंग का एक मुख्य कारण है का पता एक विशेष तकनीक जिसे मोडिफाइड पी एस पी टेस्ट कहते है, द्वारा लगाया जा सकता हैं अत: स्रावी विकार के लिए कुछ विशेष हारमोन्स जी.एं.आर.एच.अथवा एल.एच.आदि लगाए जाते है.

3. मद काल में पशु के गर्भाशय से म्यूकस एकत्रित कर सी.एस.ति. परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है जिससे गर्भाशय के अंदर रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का पता लग जाता है तथा उन पर असर करने वाली दवा भी ज्ञान हो जाता हैं इस प्रकार उस दवा के प्यिंग से गर्भाशय के संक्रमण को नियन्त्रित किया जा सकता है.

4. पशु के मद काल का पशु पालक को विशेष ध्यान रखना चाहिए इसके किए उसे पशु में मद के लक्षणों का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक हैं ताकि वह पशु का मद की सही अवस्था (द्वितीय अर्ध भाग) में गर्भाधान करा सके.

५. पशु पालक को पशु के सही मद अवस्था में न होने की दिशा में उसका जबरदस्ती गर्भाधान नहीं करना चाहिए तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को भी अनावश्यक रूप से पशु को टीका नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे रिपीटब्रीडर की संख्या बढ़ती है और पशु को कई और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता हैं

6. रिपीटब्रीडर पशु को गर्भाशय ग्रीवा के मध्य में गर्भाधान करना उचित है क्योंकि कुछ पशुओं में गर्भधारण के बाद भी मदचक्र जारी रहता है. ऐसे पशु का गर्भाशय के अंदर गर्भाधान करने से भ्रूण की मृत्यु की मृत्यु की पूरी सम्बह्ना रहती है.

7. पशु पालक को पशु की खुराक पर विशेष ध्यान देना चाहिए. कुपोषण के शिकार पशु की प्रजनन क्षमता कम हो जाती हैं पशु में खनिज मिश्रण व विटामिन्स ई आदि की कमी से प्रजनन विकार उत्पन्न हो जाते हैं

8. देर से अंडा छोड़ने वाले पशु (delayed ovulator) में 24 घंटे के अंतराल पर 2-3 बार गर्भाधान कराने से अच्छे परीक्षण मिलते है.

(2)पशु का मद में न आना:

यौवनावस्था प्राप्त करने के बाद मादा पशु में मद चक्र आरंभ हो जाता है तथा यह चक्र सामान्यत: तब तक चलता रहता है जब तक कि वह बूढा होकर प्रजनन में असक्षम नहीं हो जाता. प्रजनन अवस्था में यदि पशु मद में नहीं आता तो इस स्थिति को एनस्ट्रस को टू अनस्ट्रस भी कहते हैं यह निम्नलिखित द्वितीय श्रेणी एनस्ट्रस.

प्रथम श्रेणी एनस्ट्रस:

इस श्रेणी के एनस्ट्रस में अंडाशय के ऊपर मद चक्र की कोई रचना जैसे फोलीकल अथवा कोरपस ल्यूटियम नहीं पायी जाती. इस एनस्ट्रस को ट्रू अनस्ट्रस भी कहते है. यह निम्नलिखित कारणों से हो सकता हैं (क)कुपोषण (ख)वृद्धावस्था (ग)अत: व बहमा परजीवी तथा लम्बी (chronic)बीमारियां(घ) ऋतु का प्रभाव (विशेष कर भैसों में) (ड़)प्रजनन अंगों के विकार.

द्वितीय श्रेणी एनस्ट्रस:

इस वर्ग के एनस्ट्रस में एनस्ट्रस में अंडाशय के ऊपर मद चक्र की रचना जैसे कार्पस ल्यूटियम अथवा फोली कल आदि पाई जाती हैं यह एनस्ट्रस निम्नलिखित कारणों से हो सकता है.

(क)गर्भावस्था:

गर्भ धारण के पश्चात कोर्पस ल्युटियम प्रोजेस्टरोन हार्मोन का स्राव करने लगती है. यह हार्मोन पशु को गर्मी में आने से रोकता है. अत: गर्भावस्था पशु के मद में न आने का प्रमुख कारण है.

(ख)दृढ कोर्पस ल्युटियम (persistent corpus luteum) के कारण एनस्ट्रस :

इस अवस्था में गर्भाशय में पीक पड़ जाने अथवा अन्य किसी कारण से अंडाशय में कार्पस ल्युटियम खत्म न होकर क्रियाशील अवस्था में बनी रहती है जोकि पशु को गर्मी में आने से रोकती है.

(ग)ल्युटियल सिस्ट के कारण एनस्ट्रस:

इसमें अंडाशय में एक सिस्ट बन जाता है जिससे प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का स्राव होता है फलस्वरूप पशु गर्मी में नहीं आता.

(घ)कमजोर मद के कारण एनस्ट्रस: इसमें पशु में बाहर से गर्मी के लक्षण दिखायी नहीं देते लेकिन पशु खामोश अवस्था में गर्मी में आता रक्त है और नियत समय पर अंडाशय से अंडाणु भी निकलता है.

उपचार तथा निवारण:

(1) पशु को सदैव सन्तुलित आहार देना चाहिए देना चाहिए तथा पशु के आहार में खनिज मिश्रण अवश्य मिलाना चाहिए.

(2) पशु के मद में न आने पर उसे पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए

(3) कौपर-कोबाल्ट की गोलियां भी पशु को दी जा सकती है.

(4) आवश्यकतानुसार पशु को पेट के कीड़ों की दवा भी अवश्य देनी चाहिए.

(5) यदि पशु स्थिर कोर्पस ल्युटियम अथवा ल्युटियल सिस्ट के कारण गर्मी में नहीं आता तो उसे प्रोस्टाग्लैंडीन का टीका लगाया जाता है.

(6)गोनेडोट्रोफिन्स, जी.एं. आर.एच., विटामिन ए तथा फोस्फोरस के टीके भी एनस्ट्रस में दिए जाते है लिकिन ये पशु चिकित्सक द्वारा ही लगाए जाने चाहिए.

(7)गर्भाशय ग्रीवा पर ल्युगोल्स आयोडीन का पेंट करने से भी इस विकार में लाभ होता है.

मेट्राइटिस/एन्डोमेट्राइटिस (गर्भाशय शोथ):

मेट्राइटिस अथवा गर्भाशय शोथ का अर्थ है सम्पूर्ण गर्भाशय में सूजन होना तथा एन्डोमेट्राइटिस गर्भाशय के अंदर की पर्त की सूजन को कहते है. अधिकांशत: इसमें ओशु का सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहता है लेकिन उसकी प्रजन क्षमता पर इसका कुप्रभाव पड़ता हैं मेट्राइटिस अथवा एन्डोमेट्राइटिस पशुओं में कुछ विशेष बीमारियों के बाद उत्पन्न होती है जैसे कि कष्ट प्रसव, ब्याने के बाद साल (प्लेसेंटा)का रुक जाना तथा कुछ अन्य कारण. प्रसव के समय कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्रा०ग० के समय पर फिर सीधे रक्त परिवहन से रोगाणु गर्भाशय में प्रवेश करके मेट्राइटिस अथवा एन्डोमेट्राइटिस पैदा कर सकते हैं कई अन्य बीमारियां जैसे कि ब्रुसिलेसिस, ट्राइकोमोनिओसिस तथा विब्रियोसिस आदि भी एन्डोमेट्राइटिस पैदा करके पशु में बाँझपन पैदा कर सकती है.

मेट्राइटिस अथवा एन्डोमेट्राइटिस का प्रमुख लक्षण योनि से सफेद-पीले रंग का गर्व पदार्थ बाहर निकलना हैं इसकी मात्रा बीमारी की तीव्रता पर निर्भर करती है तथा सबक्लीनिकल एन्डोमेट्राइटिस के केसों में इस प्रकार का कोई पदार्थ निकलता दिखायी नहीं देता.

उपचार व रोकथाम:

मेट्राइटिस अथवा एन्डोमेट्राइटिस का उपचार गर्भाशय में उपयुक्त दवा जैसे एंटीबायोटिक आदि डालकर किया जाता है. इसके अतिरिक्त एंटीबायोटिकके टीके मांस भी में लगाए जा सकते है. गर्भाशय से एकत्रित पदार्थ का सी.एस.टी.करवा के उपयुक्त औषधि का प्रयोग इस बीमारी का सर्वोत्तम उपचार है. पशु के ब्याने के समय तथा कृत्रिम अथवा प्राकृतिक गर्भाधान के समय सफाई का पूरा ध्यान रखकर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है.

(4) पायोमेट्रा (गर्भाशय में पीक पड़ जाना):

पायोमेट्रा में पशु के गर्भाशय में पीक इकट्ठी हो जाती है. इसमें पशु गर्मी में नहीं आता तथा समय-समय पर उसकी योनि से सफेद रंग का डिस्चार्ज निकलता देखा जा सकता हैं पशु का परीक्षण करने पर उसकी योनि में सफेद रंग का द्रव पदार्थ दिखता है गुदा द्वारा परीक्षा करने पर गर्भाशय फूली हुई अवस्था में पाया जाता हैं अधिकांशत: पशु के अंडाशय में कोर्पस ल्युटियम भी पायी जाती हैं इस बीमारी का पशु की गर्भावस्था से अंतर करना आवश्यक ओता है क्योंकि कई बार ऐसे मादा पशु को गलती सेगर्भवती समझ लिया जाता है.

उपचार:

इस बीमारी का सबसे अच्छा व आधुनिक इलाज प्रोस्टाग्लैंड्रिन एफ-2 अल्फा का इंजेक्शन देना हैं इस टीके के प्रयोग से सी.एल.खत्म ही जाती है जिससे पशु मद में आ जाता है और गर्भाशय में भरा सारा पीक बाहर निकल जाता है.

(५)गर्भपात:

गाय व भैसों में गर्भपातवह वह अवस्था है जिससे कृत्रिम अथवा प्राकृतिक गर्भाधान के द्वारा गर्भ धारण किए पशु अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सामान्य गर्भावस्था पूरी होने के लगभग 20 दिन पहले तक की अवधि में किसी भी समय गर्भाशय से बाहर फेंक देता है. यह बच्चा या तो मर हुआ होता है या फिर वह 24 घण्टों से कम समय तक ही जीता हैं प्रारम्भिक अवस्था में (2-3 माह की अवधि तक)होने वाले गर्भपात का पशु पालकों को कई बार पता ही नहीं चलता तथा पशु जब पुन: गर्मी में आता है तो वे उसे खाली समय बैठते हैं डो या तीन माह के बाद गर्भपात होने पर पशु पालकों को इसका पता लग जाता हैं

(5)गर्भपात के कारण:

गाय या भैसों में गर्भपात होने के अनेक कारण हो सकते है जिन्हें हम दो श्रेणियों में बाँट सकते है.

सृष्टि एग्रो परिवार आपका स्वागत करता है

सदस्यता फार्म

सदस्य का

नाम:.....

संस्था का

नाम:.....

पूरा पता:.....

ग्राम :.....तहसील :.....

जिला:.....राज्य:.....पिन कोड

दूरभाष कार्य:.....निवास:.....

सदस्यता राशि

एक वर्ष :151 ☐ तीन वर्ष :351 ☐ पांच वर्ष :501 ☐

कृपया हमें/मुझे सृष्टी एग्रो की सदस्यता प्रदान कर नियमित रूप से उक्त पते पर पत्रिका भेजने की व्यवस्था करें।

सदस्यता राशि नकद/मनीओर्डर/चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि रूपये (अंकों में) शब्दों में :.....

बैंक का नाम:..... ड्राफ्ट चेक क्रमांक:.....दिनांक:.....

स्थान:..... प्रतिनिधि का नाम:.....हस्ताक्षर सदस्य:.....

दिनांक:.....

सृष्टि एग्रो

ग्रामीण विकास का संपूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड, मालाड (पश्चिम),मुंबई - 400064. Tel: 022-66998360/61Tel: 022-66998360/61.Fax: 022-66450908.Email:info@srushtiagronews.com,website:www.srushtiagronews.com

एवं हस्ताक्षर एवं संस्था सील

S.S.AGRO (INDIA) MUMBAI

(DIRECT IMPORT FOR YOUR FERTILIZER/CHEMICALS)

- ZINK EDTA/COPPER EDTA/FE EDTA
- 100% WATER SOLUBLE FERTILIZER (NPK)
- HUMIC ACID
- SEAWEED EXTRACT
- AMINO ACID
- POTASSIUM HUMATE
- FULVIC ACID
- EDDHA
- NATCA
- BRASSINOLIDE
- DAP
- SODA ASH
- SODIUM SULPHIDE
- AMONIUM CLORIDE
- SODIUM BICARBONATE
- CALCIUM CARBIDE
- PHOSPHORIC ACID
- TRI SODIUM PHOSPHATE
- CITRIC ACID
- STPP

ALL KIND OF INORGANIC/ Organic Chemicals

CONTACT NO.-022-6710-3722

EMAIL:aarti@hindchem.com

ग्लोबल वार्मिंग का मनुष्य तथा कृषि पर प्रभाव एवं बचाव

राकेश चौधरी और सुमन परिहार'
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविधालय, हिंसार (हरियाणा) – 125004
'श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर, जयपुर (राज0) – 303329

.....

आज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पूरी दुनिया पर पड रहे हैं। जलवायु में होने वाले यह परिवर्तन ग्लेशियर व आर्कटिक क्षेत्रों से लेकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक को प्रभावित कर रहे हं। यह प्रभाव अलग अलग रूप में कहीं ज्यादा तो कहीं कम महसूस किए जा रहे हैं। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.44 करोड हेक्टेयर हैं। इसमें से 14.26 करोड हेक्टेयर में खेती की जाती हैं। इस प्रकार कुल क्षेत्र के 47 फीसदी भाग पर खेती होती हैं। रोजगार के लिये लगभग 60 फीसदी जनसंख्या आज भी खेती पर निर्भर हैं। इस प्रकार कृषि एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या गिरावट देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या को प्रभावित कर सकता हैं। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा कारक हैं, जिससे प्रभावित होकर कृषि अपना स्वरूप बदल सकती हैं तथा इस पर निर्भर लोगों की खाघ सुरक्षा खतरे में पड सकती हैं। भारत में मौसम बदलाव एवं बाढ को जलवायु परिवर्तन के एक प्रमुख प्रभाव के रूप में देखा जा सकता हैं। देश का बहुत बडा भाग बाढ की विभीषिका को झेलता आ रहा हैं।

ऐसे बदलाव के चलते कृषि, स्वास्थ्य जीवनयापन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पडा हैं और जान माल, उत्पादकता आदि की क्षति का क्रम बढा हैं। परतु मौसम में हो रहे बदलाव ने इस प्राकृतिक प्रक्रिया की तीव्रता को बदल दिया हैं। तापमान वृद्वि एवं वाष्पीकरण की दर तीव्र होने के परिणामस्वरूप सूखाग्रस्त क्षेत्र बढता जा रहा हैं। मौसम बदलाव के चलते वर्षा समयानुसार नहीं हो रही है मिटटी की जलग्रहण क्षमता का कम होना भी सूखे का एक प्रमुख कारण हैं। बहुत से क्षेत्र जो पहले उपजाउ थे आज बंजर हो चले हैं। वहां की उत्पादकता समाप्त हो गयी हैं। भारत के संदर्भ में ग्रीस पीस इंडिया की एक सवेक्षण रिपोर्ट इस बात को रेखांकि करती हैं कि भारत में सर्वाधिक आमदनी वाले वर्ग के एक फीसदी लोग सबसे कम आमदनी वाले 38 फीसदी लोगों के मुकाबले कार्बन डाई आक्साइड का साढे चार गुना ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के अनुसार मात्र एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्वि से भारत में 40 से 50 लाख टन गेहूं की कम उपज का अनुमान हैं। इससे प्रति व्यक्ति खाधान्न उपलब्धता कम होगी और खाधान्न असुरक्षा तथा कुपोषण बढेगा। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के पडने वाले संभावित दो प्रभावों में एक तो क्षेत्र आधारित जबकि दूसरा फसल आधारित हो सकता हैं।

खाध फसलों पर प्रभाव

गेहूं और धान हमारे देश की प्रमुख खाध फसलें हैं। इनके उत्पादन पर जलवायु का प्रभाव पडता हैं। गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव अध्ययनों में पाया गया हैं कि यदि तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बढता हैं तो अधिकांश स्थानों पर गेहूं की उत्पादकता में कमी आएगी। प्रत्येक एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्वि पर गेहूं का उत्पादन 4.5 करोड टन कम होता जाएगा। तापमान वृद्वि का प्रभाव धान की खेती पर भी नकारात्मक पडेगा। हमारे देश में कुल फसल उत्पादन में धान की खेती का हिस्सा 42.5 प्रतिशत हैं। इस प्रकार तापमान में वृद्वि से धान के उत्पादन में गिरावट आने लगेगी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्वि से धान का उत्पादन 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम हो जाएगा। धान वर्षा पर आधारित फसल होने के कारण जलवायु

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव परिवर्तन से बाढ और सूखे की स्थितियां बढने से यह फसल गेहूं की तुलना में अधिक प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से फसलों की उत्पादकता ही प्रभावित नहीं होगी। अपितु उनकी गुणवत्ता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। ग्लोबल वार्मिंग से वातावरण निम्न प्रकार से प्रभावित हो सकता है :–

वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा।
जल एवं भूमि का तापमान बढ़ जाएगा।
बर्फ बारी का समय कम हो जाएगा।
कृषि योग्य क्षेत्रफल बढ़ जाएगा।
कीट, बीमारी एवं खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाएगा।
भू:उर्वरता में अपेक्षाकृत शीघ्र कमी आयेगी।
सूक्ष्मजीवों की कार्यशीलता में वृद्धि हो जाएगी।
जीवांश पदार्थ एवं उर्वरकों का विघटन तेजी से होगा।
नदी एवं समुद्र तटों का कटाव तेजी से होगा तथा समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाएगा।

उपर्युक्त कारक कृषि को निम्न प्रकार से प्रभावित करेंगे।

1. फसलोत्पादन

वातावरण में कार्बनडाईआक्साईड की मात्रा बढ़ने से पौधों की वनस्पतिक बढ़वार ज्यादा होगी जिसके कारण उपज में बढ़ोतरी होगी।

रबी में बारानी इलाकों में फसलों की वानस्पतिक बढ़वार के समय एवं दाने बनने की अवस्था में नमी की कमी होगी जिसके कारण उत्पादकता में कमी आयेगी। उत्तरी भारत में रबी में दलहनी एवं सरसों की फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा व उपज घटेगी।

2. फसल अवधि

फसलों का बोने, पकने व कटने का अन्तराल तापमान पर निर्भर करता है। एक वर्षीय फसलों में बोने व काटने के अन्तराल में कमी आ जाएगी इससे उनकी उत्पादकता प्रभावित होगी। देर से पकने वाली धान की किस्में उस वातावरण के लिए उपयुक्त होंगी।

3. बीमारियों एवं कीटों का प्रभाव

तापमान एवं नमी में बढ़ोतरी के कारण फसलों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। इससे फफूंद से फैलने वाली बीमारी विशेषकर बढेंगी। ग्लोबल वार्मिंग से कीटों के जीवन चक्र पूरा करने के समय में कमी के कारण उनकी संख्या में वृद्धि अपेक्षाकृत तेजी से होगी इससे उनका प्रकोप बढ़ेगा। कपास आदि फसलों में विशेष नुकसान होगा।

4. प्रकाश संश्लेषण

कार्बनडाईआक्साइड की मात्रा बढ़ने से फोटोसिन्थेसिस की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। इसमें करीब 25–35 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। इस गैस की अधिकता से पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी कम होगी इसमें पौधों की पानी की मांग भी प्रभावित होगी।

5. खरपतवारों पर प्रभाव

खरपतवार फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तापक्रम बढ़ने व उसके अन्य प्रभावों से खरपतवारनाशियों की कार्य क्षमता बढ़ जायेगी तथा इस खरपतवारनाशी खरपतवारों का प्रभावी ढंग से विनाश करने में सक्षम होंगे।

6. जल संसाधनों पर प्रभाव

पृथ्वी पर इस समय 140 करोड घन मीटर जल हैं। इसका 97 प्रतिशत भाग जल खारा हैं, जो समुद्रों में पाया जाता हैं। इस प्रकार हमारे लिये उपयोग हेतु केवल 136 हजार घन मीटर जल ही बचता हैं। पूरी दुनिया में जल की खपत प्रति 20 सालों की अवधि में दुगुनी हो जाती हैं, जबकि धरती पर उपलब्ध जल की मात्रा सीमित हैं। शहरो, कृषि एवं उधोगों में जल की बहुत मात्रा का अपव्यय होता हैं। यदि इस जल का समुचित प्रबंधन किया जाए तो इससे 40 से 50 प्रतिशत जल की बचत की जा सकती हैं। अर्द्वशुष्क क्षेत्रों में लंबे शुष्क मौसम तथा फसल उत्पादन की असफलता बढती जाएगी। गांवों में जल के पारंपरिक स्त्रोतो के सूख जाने किसानों के सम्मुख खेतों में कृषि हेतु जल संचयन का संकट खडा होता जा रहा हैं। इससे किसानों की जमीन में आर्द्रता कम होने लगी हैं। परिणामतः भूमि की उर्वरा शक्ति घटने लगी हैं। भूमिगत जल स्त्रोत भी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अछूते नहीं रहे हैं।

7. पर्यावरण पर प्रभाव

विश्व का आधे से अधिक समुद्रतटीय पर्यावरण तंत्र गडबडा चुका हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा में तेजी से वृद्वि हुई हैं। वायुमंडल में इस गैस की मात्रा आगामी 100 वर्षों तक ज्यो की त्यों बनी रहेगी, जो बहुत ही खतरनाक सिद्व होगी। जिससे वातावरण में और अत्यधिक गैसों का रिसाव हो रहा हैं प्रदूषण मात्रा अधिक बढने से दमा जैसी बीमारियों की संख्या बढ रही हैं। वर्ष 1990 की तुलना में समुद्री तल करीब 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य बढ चुका हैं। इसके कारण समुद्री हवाओं की मार से लगभग 4.6 करोड लोग प्रतिवर्ष प्रभावित होते है। बढती मानवीय आवश्यकताओं के कारण औघोगीकरण, परिवहन, खनन में वृद्वि और ईंधन हेतु लकडियों के उपयोग से वनों का विनाश बढ रहा हैं। संपूर्ण उर्जा उत्पादन और उपभोग में अभी भी 20 प्रतिशत हिस्सा जीवाश्म ईधन का ही हैं। जीवाश्म ईधन के उपभोग की सालाना वृद्वि दर विकसित देशों में 1.5 प्रतिशत और विकासशील देशों में 3.6 प्रतिशत रहेगी। इस प्रकार कुल 2 प्रतिशत वृद्वि मानी जाए तो 2055 में आज के मुकाबले तीन गुना जीवाश्म ईधन से निकलने वाली कार्बन डाई आक्साइड में वृद्वि के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होग जाएगी। पहाडों, ग्लेशियरों, अंटार्कटिका व ध्रुवों की बर्फ के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्वि होगी। परिणामस्वरूप अनेक तटीय देश व द्विपीय देश जलमग्न हो जाएगे। समुद्री जल स्तरों के बढने के कारण तटीय क्षेत्रों के निम्न भागों के जलमग्न होने से तटीय बाढ का खतरा बढ जाएगा। जिससे तटीय क्षेत्रों को खाली करना पडेगा। हिमनदों के पिघलने से भूस्खलन तथा हिमस्खलन की घटनाएं सामान्य हो जाएगी। प्रौघोगिकी के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण और खनिज तेल व कचरे के बहिस्त्राव से जल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ हैं।

बचाव एवं उपाया

ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को सभी देशों को एक वैश्विक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुये बहुपक्षीय विचार विमर्शों से अपने सकारात्मक रचनात्मक तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। इसके लिये जनसंख्या विस्थापन को भी रोकना होगा। क्योंकि अपने परंपरागत गृह से विस्थापित लोग तकनीकी समस्यांए तो उत्पन्न करते ही हैं साथ ही असामंजस्यपूर्ण कार्यो से पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। कर्ज और संरचनात्मक सामंजस्य की व्याप्त समस्या का निदान ढूंढना होगा ताकि प्राकृतिक संसाधनों के बढते दोहन को रोका जा सके। विषेले पदार्थों व रेडियोधर्मी। कचरे के बढते बाजार को रोकना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सेना पर्यावरण नियामकों की अवहेलना करती हैं व अपने क्रियाकलापों के दौरान ईधन, कचरा, अखंडित गोला बारूद व खतरनाक हथयार फेंकती हैं जो पर्यावरण के लिये बहुत ही हानिकारक होता हैं। परमाणु परीक्षण वैश्विक पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचाते हैं। परमाणु हथियार विभिन्न किरणे, मुक्त करते हैं। जो केंसर प्रजनन, प्रगजनन निष्फलता, गर्भपात आदि समस्याएं पैदा करती हैं। झूम खेती कृषि पद्वति को रोकना होगा और वनों की कटाई करने वालों को कठोर दण्ड से दण्डित करने के साथ ही वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना होगा। निर्धनता व बेरोजगारी के विरूद्व बढते दुश्चक्र को कम करना होगा। पर्यावरण सुरक्षण के अनुरूप उच्च प्रौघोगिकी को अपनाना होगा और सूचना और संप्रेषण प्रौघोगिकी को महत्व देने की आवश्यकता हैं। भविष्य में हम एशियाई धुंध के नीचे रहे गैस चैंबरों के सदस्य बनें या पर्यावरण से सुरक्षा हेतु एक विशेष प्रकार के वैज्ञानिक कोट को पहने या चिकित्सको की सलाह पर दवाओं का सेवन करे। इससे अच्छा हैं कि हम अभी भी आत्मिक रूप से सचेत हो जाएं अन्यथा चिंतनमंथन और विश्वस्तर पर राजनीतिक संवाद का कोई लाभ नही होगा। इस प्रकार हमें सतत उत्पादन प्रक्रियाओं को बढावा देकर ही जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के सकारात्मक प्रयास करने होगे।

गैलार्डिया की वैज्ञानिक खेती

प्रकाश महला, डॉ. एस.पी. सिंह
(उद्यान विभाग)
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

गैलार्डिया को नौरंगा पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, इसके पुष्प पीले नांरगी, लाल, तांबिया मिश्रित गहरे तांबियां आदि विभिन्न आकर्षक रंगों में खिलते है। जो बहुत ही लुभावने होते हैं, इसलिए इस पुष्प की मांग वर्ष भर रहती है। पुष्प उत्पादक इसकी काश्त कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, नौरंगा को यदि ग्रीष्मकालीन फूलों का राजा कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। इसके पुष्पों को माला, गुलदस्ता अन्तोगृहसज्जा, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है।

राजस्थान में इसकी वैज्ञानिक खेती आसानीपूर्वक वर्ष पर्यन्त भी की जा सकती है, किंतु जब अन्य पुष्प सहजता से उपलब्ध होते हैं, तब इसे ग्रीष्मकाल में लगाना अधिक लाभपूर्ण है। प्रदेश में कई स्थानों पर कृषक इसका व्यावसायिक उत्पादन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे है। किन्तु इसको और अधिक बढ़ाने की अपार संभावनाएं है अतः इसकी खेती के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओ का वर्णन निम्न प्रकार है।

जलवायु :– इस हेतु शीतोष्ण तथा उपोषण जलवायु उपयुक्त है।

भूमि चयन व तैयारी :– इसे विभिन्न प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, किन्तु बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त है। भूमि में पानी नही रूकना चाहिए अन्यथा क्षति होती है। भूमि चयन के पश्चात् उसे अच्छी जुताई कर समतल करें।

प्रजातियाँ

गैलार्डिया लोरीन्जीयाना :– इसके पुष्प डबल होते हैं, यह व्यावसायिक उपयोग हेतु उपयुक्त है। इसमें सनसाइन, मेरी डबल मिक्स, डबल टेट्रा प्रजाति

प्रमुख है।

गैलार्डिया ग्रेन्डीलोरा :– इसकी प्रजाति गोब्लीन व्यावसायिक उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध है, पुष्प पीले नारंगी एवं लाल होते हैं, पुष्प बाजार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी प्रमुख प्रजाति गोबलीन है।

बीज की मात्रा :– करीब 1.5–2.0 किलो प्रति हैक्टर के लिए पर्याप्त है।

बीज बुवाई का समय :– मार्च–अप्रैल एवं दिसम्बर–जनवरी ।

बुवाई का तरीका :– भूमि में थोड़ी ऊँची क्यारियों को बनाकर बीज को 5 सेमी. की दूरी पर लाइन में बोना चाहिए। आमतौर पर क्यारी का आकार 3 मीटर ग 1 मीटर रखते है। बुवाई पश्चात् बीज को मिट्टी से ढ़कते हैं पुनः सूखी घास से ढ़क कर हल्की सिंचाई करते हैं, जब अंकुरण हो जो तो सूखी घास हटाते हैं, सामान्यतः गोबर की खाद 10 किलो प्रति वर्गमीटर की दर से उपयोग करते है।

खाद की मात्रा :– गोबर की अच्छी सड़ी खाद 250–300 क्विंटल प्रति हैक्टेयर भूमि में खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह मिलाना चाहिए।

पौध रोपण एवं दूरी :– नर्सरी में तैयार पौधों को खेत में कतार से कतार 45 सेमी. एवं पौधे से पौधे की दरी 45 सेमी. पर रोपण किया जाता है, पौधों को सायंकाल लगाना चाहिए तथा रोपण क बाद अच्छी तरह पानी लगावें।

सिंचाई :– सामान्यतः सप्ताह में एक बार देना चाहिए, परन्तु ग्रीष्मकाल में पानी अथवा सिंचाई की भरपूर व्यवस्था करें ताकि पुष्प अधिक मिल सकें। सिंचाई भूमि के प्रकार पर भी निर्भर करती है।

पुष्प तुड़ाई एवं उपज :– पुष्प बीज बोने के करीब 105–120 दिन में तुड़ाई हेतु तैयार हो जाते है। इसमें एक ही पौधे पर अधिक संख्या में पुष्प खिलते है अतः पुष्प प्रतिदिन तोड़ना चाहिए। इन्हें ताजा बनाए रखने हेतु गीले कपड़े में रखे। उपज आमतौर पर करीब 200–250 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है।

कीट व्याधियाँ :– सामान्यतः बहुत कम प्रकोप होता है, परन्तु यदि कीट व्याधि का प्रकोप दिखे तो डाइमिथोएट दवा 2 ग्राम प्रति ली. पानी में तथा व्याधि हेतु मैंकोजेब दवा को 2.5 ग्राम प्रति ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।

मंथन

सृष्टि एग्रो क्यों ?

सृष्टि एग्रो उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है। जो फैसला करने की स्थिति में नहीं है। उसे घोड़ा बनाकर कोई और उसकी सवारी कर रहा है। इसका अधिकांश हिस्सा ग्राहक है, उपभोक्ता है, लेकिन वह क्या उपभोग करेगा, इसे कोई और तय करता है। वह अन्नदाता है किसान के रूप में, वह निर्यातक है सप्लायर है छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों (एमएसएमई) के रूप में, लेकिन वह कितना और कौन-सा अनाज पैदा करेगा, कौन-सा माल किसको सप्लाई करेगा, इसे कोई और तय करता है। इसका बड़ा हिस्सा नौकरी-चाकरी करता है, मालिक-मुख्तार नहीं है। वह कमाई करता है, वर्तमान से, भविष्य की अनहोनी से डरकर पैसे भी बचाता है। वह कभी-कभी इतना जोखिम भी उठा लेता है कि लॉटरी खेलता है। शेयर बाजार में सट्टेबाजी का मौका मिले तो डे-ट्रेडर भी बन जाता है। निवेश करता है, लेकिन हमेशा टिप्स के जुगाड़ में रहता है। जानता नहीं कि देश का वित्तीय बाजार उसे सुरक्षित निवेश के मौके भी देता है। जानता नहीं कि देश का वित्तीय बाजार किसी के बाप की बपौती नहीं है। अभी भले ही यह सच हो कि अंग्रेजी में बोलने-सोचने वाले पांच-दस करोड़ लोग ही उद्योग-व्यापार, बाजार और कॉरपोरेट दुनिया की बागडोर संभाले हुए हैं। लेकिन यह एक औपनिवेशिक तलछट है जो बाजार व लोकतांत्रिक चाहतों के विस्तार के साथ एक दिन बहुरंगी, देशज भारतीयता में समाहित हो जाएगी। अर्थकाम इस प्रक्रिया को तेज करने का माध्यम है। यह वित्तीय साक्षरता के जरिए जहां देश में वित्तीय बाजार की पहुंच को बढ़ाएगा, वहीं महज उपभोक्ता, अन्नदाता, कच्चे माल व पुर्जों के निर्माता की अभिशप्त स्थिति से निकालकर उस समाज को उद्यशीलता के आत्मविश्वास से भरने की कोशिश भी करेगा। हम भारतीय व्यापार व उद्योग के पारंपरिक ज्ञान की कड़ी को आधुनिक आर्थिक व वित्तीय पद्धतियों से जोडेंगे।

हमें यकीन यहां ऐसे लोग हैं जो अंदर-ही-अंदर विराट सपनों को संजोए हुए हैं, लेकिन मौका व मंच न मिल पाने के कारण कहीं किसी कोने में दुबके पड़े हैं। उन्हें किसी मौके व मंच का इंतजार है। यकीनन खंडित आत्मविश्वास को लौटाना, यहां घर कर चुकी परम संतोषी पलायनवादी मानसिकता को तोड़ना, जनमानस में छाए दार्शनिक खोखलेपन को नए सिरे से भरना, उसे हर तरह के ज्ञान से लबरेज करना पहाड़ को ठेलने जैसा मुश्किल काम है। लेकिन हमारा इतिहास बताता है कि हम हमेशा ऐसे संधिकाल से, संक्रमण के ऐसे दौर से विजयी होकर निकले हैं। आजादी की ७५वीं सालगिरह यानी 2022 तक अगर भारत को दुनिया की प्रमुख ताकत बनना है तो हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलगु, मलयाली, मराठी, गुजराती से लेकर हर क्षेत्रीय समाज को कम से कम ज्ञान व सूचनाओं के मामले में प्रभुतासंपन्न बनाना होगा। नहीं तो तमाम बड़े-बड़े राष्ट्रीय ख्वाब महज सब्जबाग बनकर रह जाएंगे।

ऋतु कपिल (कार्य कारी संपादक)

संतुलित आहार

स्त्रोत - न्युट्रिटिव वैल्यु ऑफ इण्डियन फूड (1985)

भोजन के पोषक तत्व

मानाव शरीर को स्वस्थ रखने व उसके विकास के लिए भोजन आवश्यक है। हमारा शरीर एक रेल के इंजन के समान है। जैसे इंजन को चलने के लिए कोयले व पानीं की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार शरीर को क्रियाशील रखने, वृद्धि के लिए हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करने, अंगो को शक्ति प्रदान करने व टूट फुट की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अत: संतुलित आहार यानि ऐसा आहार जिससे शरीर के अन्य विकास के लिए आवश्यक सभी पौष्टीक तत्व जैसे कार्बोहायड्रेट, वसा (चिकनाई), प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन सही मात्रा में उपलब्ध हो अति आवश्यक है। शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों के कार्य, उनके स्त्रोत तथा उनकी कमी के कुप्रभाव निम्नलिखित है।

कार्बोहायड्रेट

ये शरीर मे शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्त्रोत है। शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी की भाँती यह भी कार्य करता है। कार्बोहायड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होते है। (1) माडी अर्थात स्टार्च तथा (2) शर्करा देने वाले मोड देने वाले कार्बोहायड्रेट चावल, आटा, मैदा, अनाज, आलू तथा दालें है। शर्करा देने वाले कार्बोहायड्रेट संतरे तथा अन्य फलों का रस, शहद, गन्ना, मेवा, खजूर, गुड, चूरा, चुकन्दर, शक्कर आदि है। मीठी वस्तुओं से प्राप्त होनेवाले कार्बोहायड्रेट अत्यधिक शक्तिशाली और स्वास्थ के लिए लाभदायक होते है। परन्तु यदि अत्यधिक मात्रा में लिए जायें तो अनेक जानलेवा रोगोच को भी जन्म देती है। जैसे मधुमेह, अतिसार, अजीर्ण व मोटापा आदि। एक ग्राम कार्बोहायड्रेट से ४ किग्रा कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है।

वसा (चिकनाई)

वसा अथवा चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। यह प्राणी समूह तथा वनस्पति समूह दोनों से प्राप्त होती है। वसा से शरीर के दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त होती है। वसा शरीर के कोमल अंगो की सुरक्षा का भी कार्य करता है।

को ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करता है। वसा का शरीर में अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना उचित नहीं होता तथा भूख कम कर देती है। वसा हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है जैसे घी, मक्खन, मलाई आदि जो पशुओं से प्राप्त होती है तथा दूसरी जो तेलों से प्राप्त होती है जैसे तिल, सरसों, नारियल, मूंगफली आदि। वसा में घुलनशील विटमिनों के उपयोग के लिए भी वसा का आहार में शामिल करना आवश्यक है।

प्रोटीन

प्रोटीन भोजन का एक आवश्यक अंश होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का विकास एवं मरम्मत करना, मानसिक शक्ति को बढाना तथा रोग निवारण शक्ति उत्पन्न करना है। प्रोटीन दो प्रकार से प्राप्त होती है। पशुओं से मिलने वाली जैसे मांस, अण्डे की जर्दी, मछली, दूध आदि से मिलने वाला तथा मटर, चना,सेम, सोयाबीन, दालों और मूंगफली से मिलने वाली मांसाहारियों को तो प्रोटीन आसानी से मिल जाती है। परन्तु शाकाहारियों को दाल दूध, दही ओर हरी सब्जियाँ अधिक मात्रा में कानी चाहिए। जिससे उनकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो हाठ। बच्चों तथा अधिक मेहनत करने वालों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है।

खनिज लवण

खनिज लवण शरीर को सुरक्षा पहुँचाने वाले तत्व है। हमारा भोजन अधिकतर, सब्जी, अनाज, दालों, फल आदि के रुप में होता है। खाद्य पदार्थों में मुख्यत्व दो प्रकार के खनिज लवण पाए जाते है। शरीर में पाँच महत्वपूर्ण बुनियादी खनिज लोवण कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटॅशिअम, सोडिअम व मैग्नेशियम है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण में होमियम तांब, आयोडिन, लोहा, मैंगनीज व जस्ता आता है। अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व जैसे सल्पर , निकल, कोबाल्ट आदि भी शरीर के लिए आवश्यक है।

ळोहा

हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का हीमोग्लोबीन बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। लोहे की कमी से रक्तहीनता यानि खून की कमी हो जाती है। फेफडों से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक आक्सीजन ले जाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। एक मनुष्य को प्रतिदिन २०-३० मिग्रा लोहा अवश्य मिलना चाहिए। कुछ लोहा जिगर में स्टोर हो जाता है। जन्म के समय बच्चे के शरीर में चार माह तक की हो जाती है। लोहे की कमी से श्वासहीनता, थकावट और कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। लोहा, मांस, कलेजी, दिल, गुर्दे, मछली, अंडों,साग, हरी पत्तेदार सब्जी, अजान, दालों, मटर, सूखे मेवों आदि से प्राप्त होता है।

कैल्शियम (चूना)

कैल्शियम हमारे दाँतों और अन्य हड्डीयों के निर्माण में सहायक होता षे। यह लगने पर हमारे रक्त में जमने की शक्ति भी पैदा कर देता है। चूना हमें पनीर, दही साब्जियाँ जैसे सरसों का साग, चने का साग, नारंगी, सेब, संतरा, मटर, सेम, मछली से प्राप्त होता है।

फॉस्फोरस

फॉस्फोरस हड्डियोलं और दातों को मजबुत करता है। फॉस्फोरस का उपयोग कैल्शियम के उपयोग से जुड़ा हुआ है। फॉस्फोरस

मांस, कलेजी, अंडे, मछली, दूध, दही, पनीर, सेब, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। आयोडीन

आयोडीन मानसिक और शारिरीक विकास के लिए आवश्यक खनिज लवण है। प्राय: भूमि और समुद्र के जल में मिलती है। खाद्य पदार्थो में यह साग सब्जियों मछली, तेल और समुद्र की मछलियों मे पाई जाती है। अयोडीन की कमी से बौनापन, शरीर मानसिक विकलांगता गिल्ल्ड़, गर्भपात, मरा हुआ बच्चा पैदा होना आदि हो जाता हैं।

बिल्व वृक्ष

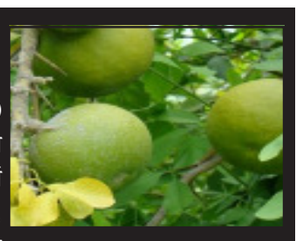

बिल्व अथवा बेल (बिल्ल) विश्व के कई हिस्सों में पाया जाने वाला वृक्ष है। भारत में इस वृक्ष का पीपल, नीम, आम, पारिजात और पलाश आदि वृक्षों के समान ही बहुत अधिक सम्मान है। हिन्दू धर्म में बिल्व वृक्ष भगवान शिव की अराधना का मुख्य अंग है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे मंदिरों के पास लगाया जाता है। बिल्व वृक्ष की तासीर बहुत शीतल होती है। गर्मी की तपिश से बचने के लिए इसके फल का शर्बत बड़ा ही लाभकारी होता है। यह शर्बत कुपचन, आंखों की रोशनी में कमी, पेट में कीड़े और लू लगने जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए उत्तम है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण बिल्व की पत्तियों मे टैनिन, लोह, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नेशियम जैसे रसायन पाए जाते हैं। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में 'स्कंदपुराण' में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरीं, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियाँ समाहित हैं। यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वास है। जो व्यक्ति शिव-पार्वती की पूजा बेलपत्र अर्पित कर करते हैं, उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। 'शिवपुराण' में इसकी महिमा विस्तृत रूप में बतायी गयी है।

हिंदू धर्म के पवित्र पक्षी

हंस : जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है, तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माएं आश्रय लेती हैं। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने ?जीवन में पुण्यकर्म किए हैं और जिन्होंने यम-नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुन: मनुष्य योनि में लौट आती है या फिर वह देवलोक चली जाती है। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। यह बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के नि:श्वास में 'हं' और श्वास में 'स' ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन क्रम ही 'हंस' है क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अत: हंस 'ज्ञान' विवेक, कला की देवी सरस्वती का वाहन है। यह पक्षी अपना ज्यादातर समय मानसरोवर में रहकर ही बिताते हैं या फिर किसी एकांत झील और समुद्र के किनारे।यह पक्षी दांप?त्य जीवन के लिए आदर्श है। यह जीवन भर एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं। यदि दोनों में से किसी भी एक पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरा अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजार या गुजार देती है। जंगल के कानून की तरह इनमें मादा पक्षियों के लिए लड़ाई नहीं होती। आपसी समझबूझ के बल पर ये अपने साथी का चयन करते हैं। इनमें पारिवारिक और सामाजिक भावनाएं पाई जाती है। सफदे रंग के अलावा काले रंग के हंस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता, देवता और गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को तीन जन्म तक नर्क में रहना होता है।

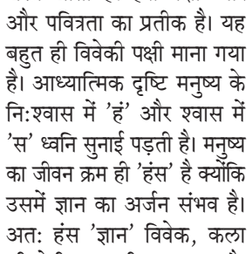

मोर : मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। यह शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।

इसकी दो प्रजातियां हैं- नीला या भारतीय मोर (पैवो क्रिस्टेटस), जो भारत और श्रीलंका (भूतपूर्व सीलोन) में पाया जाता है। हरा या जावा का मोर (पैवो म्यूटिकस), जो म्यांमार (भूतपूर्व बर्मा) से जावा तक पाया जाता है।

अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिन्दू धर्म में मोर को मार कर खाना महापाप समझा जाता है। मोर की उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है।

कौआ : कौए को अतिथि-आगमन

का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। कौआ लगभग 20 इंच लंबा, गहरे काले रंग का पक्षी है, जिसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं। जिस दिन किसी कौए की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कौआ अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता वह किसी साथी को साथ ही मिल बांटकर भोजन ग्रहण करता है। कौआ बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कौए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौओं को भोजना कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है।

उल्लू - उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हिन्दू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। डरावने लुक के कारण कुछ लोग उल्लू से डरते भी हैं और कुछ लोग उन लोगों को मूर्ख कहते हैं जिनके उल्लू जैसे मुंह होते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है।

भारत वर्ष में प्रचलित लोक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर के ऊपर छत पर स्थि?त होना तथा शब्दोच्चारण निकट संबंधी की अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत-भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है।

उल्लू नीरव उड़ान भरने में पारंगत है। अर्थात पंखों की फड़फड़ाहट या आवाज किए बगैर ही यह मीलों उड़ सकता है। उल्लू की आंखे रात में दूर तक देखने की क्षमता रखती है। यह प्राणी दिन में सोता और रात में जागता है। उल्लू की श्रवण-शक्ति भी तीव्र होती है। यह उपर उड़ान भरते वक्त नीचे चूहे की आवाज सुन लेता है। उल्लू की सिर घुमाने की योग्यता भी अद्वितीय है क्योंकि वे लगभग 170 अंश तक अपना सिर घुमा सकते हैं। अर्थात मात्र सिर घुमाकर वे ठीक अपने पीछे देख सकते हैं।

उल्लू : उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हिन्दू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। डरावने लुक के कारण कुछ लोग उल्लू से डरते भी हैं और कुछ लोग उन लोगों को मूर्ख कहते हैं जिनके उल्लू जैसे मुंह होते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है।

लिंगपुराण में नारद मुनि को मानसरोवर वासी उलूक से संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश दिया गया था। इस उलूक की हू हू हू हू सांगीतिक स्वरों में निकलती है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यन्त चतुर कहा गया। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं, तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि उन्हें शत्रु की उलूक-चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उलूक को श्रीलक्ष्मी का वाहन बनाया था।

(पाक्षिक राशि फल)

01–03–2014 से

15–03–2014

ज्योतिषाचार्य -पं.जयदत्त व्यास -जयपुर

AJS	उत्तम समय , धन लाभ, यश की प्रप्ति का योग, प्रयत्नों से लाभ,मन सम्मान में वृद्धि,आर्थिक लाभ,
BKT	उदार रोग कि संभावना,सावधानी रखें
CLU	परेशानियो का अंत, व्यापार लाभ, धन लाभ प्रतिष्ठा में वृद्धि!
DMV	आक्समिक धन हानि व्यापार में रुकावट,कार्य में बाधा
NEW	धन लाभ , नए कार्य की योजना,मित्रों से सहयोग,
FOX	जातक को धन लाभ , जगह ज़मीन कि योजना,धर्म क्रम में रूचि!
GPY	धन धर्म ,लाभ, मित्रों से सहयोग , धन लाभ का योग,
HQZ	यात्रा योग,अधिकारियों द्वारा परेशानी,प्रतिष्ठा चिन्ता !
IR	मानसिक कष्ट, कष्टपूर्ण समय, सावधानी रखें

सुवचार

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं, तो आप दुख के सौ दिन से बच सकते हैं

-चीनी कहावत

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखो में समाविष्ट सभी बातों की जाँच-परखकर पाना सँभव नही है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते है ,सृष्टि एग्रो समाचारपात्र उसकी कोई गारंटी नही लेता. विज्ञापनों में किए गए दावो की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वरा नही होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचारपत्र समूह के मुद्रा , संपादक ,प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नही होंगे,कृपया इसे ध्यान में रखे. अत: हम पाठकों से अनुरोध करते है कि विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने के पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर ले.

मेट्रो-रिफाइनरी के लिए 888 करोड़ रु०, 20,000 गांवों को मिलेगा मीठा पानी- वसुंधरा राजे

जयपुर. तमाम कयासों के उलट वसुंधरा राजे सरकार ने रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो परियोजनाओं पर ब्रेक नहीं लगाया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट में मेट्रो और रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 888 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। इसे अंतरिम बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि दिसंबर में कार्यभार संभालते ही भाजपा सरकार ने मेट्रो और रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा का एलान किया था। अंतरिम बजट में 20 हजार किलोमीटर के सड़क मार्गों को मेगा हाईवेज में अपग्रेड करने तथा 20 हजार गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना की भी घोषणा की गई। साथ ही सौर ऊर्जा से पांच साल में 25 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य भी तय किया गया। सरकार ने रिफाइनरी के लिए 402 करोड़ रुपए के प्रावधान किए हैं। 2013 के बजट में कांग्रेस सरकार ने रिफाइनरी के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।

कृषि मंत्री का सरसों अनुसंधान निदेशालय का दौरा

भरतपुर, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री प्रभुलाल सैनी ने सरसों अनुसंधान निदेशालय का दौरा करके सरसों अनुसंधान कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होनें निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक डॉ. यशपाल सिंह एवं वैज्ञानिकों से निदेशालय के कार्यक्रमों गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होनें निदेशालय द्वारा सतत् मेहनत से उत्पादकता उत्पादन एवं गुणवत्ता सहित निदेशालय द्वारा विकसित राई–सरसों की उन्नत किस्मों की उत्पादन क्षमता और किसानों में उनके प्रसार के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होनें राजस्थान में सरसों उत्पादन को बढाने की कार्यनीति विशेषकर भरतपुर संभाग में सरसों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की स्थिति एवं वर्ष 2004–05 में सरसों का उत्पादन बढाने हेतु भरतपुर जिले में चलाये गये ''टारगेट 20 प्लस'' कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों से चर्चा की।

उन्होनें सरसों के रोगों से फसल को होने वाले नुकसान की रोकथाम हेतु रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास एवं तना गलन रोग की गंभीरता को देखते हुए इसके प्रबंधन के लिए अनुसंधान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर विचार विमर्श में निदेशालय के वैज्ञानिक डॉ. पी.के.राय, डॉ. वी.वी. सिंह, डॉ. के. एच. सिंह, डॉ. एन.एस. भोगल, डॉ. अजय ठाकुर एवं डॉ. अशोक कुमार शर्मा के साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

बीकानेर के सांसद ने उठाई बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात

जयपुर, बीकानेर केसांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग रखी। उन्होंने बताया किबीकानेर कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने के लिए काफी समय से मांग की जा रही है अतः इसे शीघ्र केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। श्री मेघवाल ने लोकसभा में बताया किजोधपुर मे स्थापित किये गए एज्स अस्पताल का नाम प्रारंभ में मीराबाई केनाम से रखा गया था, जिसे बाद मे हटा दिया गया।

उन्होंने इस संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि जोधपुर एज्स में मीराबाई का नाम जोड़ा जाये।

अलवर विधेयक, 2014 ध्वनिमत से पारित

जयपुर, राज्य विधानसभा ने मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सराफने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज ऋषि भर्तृहरि और मत्स्य प्रदेश की ऐतिहासिकपृष्ठभूमि को देखते हुए राज्य सरकार ने मत्स्य विश्वविद्यालय का नाम, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के रूप में परिवर्तित किए जाने का निश्चय किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राज्य सरकार ने अलवर में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता की वजह से यह विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो सक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने किये पट्टे वितरित

जयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने जयपुर विकास प्राधिकरण में सिविल लाइन्स जोन केतीर्थ नगर व राजीव विहार के 43 लोगों को पट्टे वितरित किये।

इस अवसर पर डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा किराज्य सरकार ने जो आम आदमी की सुध लेने का विश्वास दिलाया था उसी केतहत एकमाह केअन्दर अभियान चलाकर अब तक 900 पट्टे वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर आदमी का अपने घर का सपना होता है, उसे पूरा होने पर उस आदमी को जो प्रसन्नता होती है वह देखते ही बनती है। उन्होंने ऐसे लोगों को पट्टे मिलने पर बधाई दी।

ग्रामीण विकास के लिए मॉनिटरिंग तंत्र का मजबूत होना जरूरी - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री

जयपुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा किसरकार की प्राथमिकता है किग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ हर ग्रामीण को मिले। इसकेलिए अधिकारियों को मॉनिटरिंग तंत्र मजबूत करना चाहिए और सभी स्तरों पर रिकॉर्ड संधारण की परंपरा विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा किगांवों के सर्वांगीण विकास के लिए श्री योजना लागू की जाएगी जिसके तहत सेनिटेशन, हैल्थ, रोड, एज्यूकेशन और इलेक्ट्रीसिटी की समस्याओं से गांवों को पूरी तरह से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। श्री कटारिया शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों केसाथ ही जिलों केप्रभारी अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा किपिछले दिनों भरतपुर प्रवास केदौरान फील्ड में रहने से काफी ज्ञानवर्धन हुआ। उन्होंने विभागीय योजनाओं केनिरीक्षण एवं भ्रमण केलिए नियुक्त सभी 33 जिलों केप्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए किवे संबंधित जिलों से ग्रामीण विकास केक्षेत्र में हो रहे कार्यों का विवरण मंगा लें और उसका अध्ययन करें। श्री कटारिया ने कहा कियोजनाओं का लाभ पाना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है इसलिए प्रत्येकपंचायत समिति और जिला मुख्यालय पर योजनाओं की राशि की पूरी जानकारी बोर्ड पर अंकित होनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मिड-डे-मील, भूजल संरक्षण, निर्मल भारत योजना, गांव में स्वस्थता कार्यक्रमों पर जोर देते हुए गम्भीरता से कार्य करने केनिर्देश दिए।

सृष्टि एग्रो हुआ सम्मानित

भरतपुर,किसानों की बदौलत ही आज हम कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे है। इसलिए उन्हे अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। देश की जनता को उसी अन्नदाता का शुक्रगुजार होना चाहिएयह बात सरसों अनुसंधान निदेशालय के तीन दिवसीय सरसों विज्ञान मेले के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि आत्मा परियोजना, भरतपुर के परियोजना निदेशक श्री योगश शर्मा ने किसानों को सम्बोधित करते हुये कही। इस अवसर पर अध्यक्षता करते हुए निदेशालय के निदेशक डॉ. धीरज सिंह ने कहा कि देश में राई–सरसों की उत्पादकता को बढाकर ही खाद्य तेलों के आयात को कम किया जा सकता है और देश को तिलहनों में आत्मनिर्भर बना सकते है। इसके लिए किसानों और वैज्ञानिकों को मिलकर काम करना होगा। इसलिए किसानों को भी आगे बढकर नई किस्मों को अपनाना चाहिए ताकि उत्पादन में बढोत्तरी हो सके। इस अवसर पर आयोजित बीज एवं बीज उत्पादन के जागरूकता कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वी. वी. सिंह ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बीज उत्पादन प्रक्रियाओं की जानकारी दी

इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं निदेशालय के निदेशक ने निदेशालय द्वारा विकसित एवं आत्मा परियोजना भरतपुर के वित्तीय सहयोग से तैयार किये गए ई–सरसों शिक्षा कार्यक्रम के द्वितीय संस्करण की सी.डी. भी जारी की ।

इस अवसर पर सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा लगाए गये सरसों अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन में किसानों के उत्कृष्ट सहभागिता एवं उन्नत तकनीकों के प्रचार–प्रसार में उल्लेखनीय योगदान करने करने के लिए किसानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। राई–सरसों की उन्नत तकनीकों एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए सृष्टि एग्रो, को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पी. के. राय ने किया एवं डॉ. अशोक कुमार शर्मा ने तीन दिवसीय मेले के सफलता पूर्वक सम्पन्न होने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

गेहूं वितरण की मॉनिटरिंग के लिए सतर्कता समितियां - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री

जयपुर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री हेम सिंह भड़ाना ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा किभारत सरकार के जरिए आवंटित गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण किए जाने के लिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सतर्कता समितियां गठित हैं। इन समितियों केमाध्यम से समय-समय पर गेहूं वितरण की मॉनिटरिंग की जाती है।

श्री भड़ाना सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरकप्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा किगेहूं के वितरण की मॉनिटरिंग के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बनी सतर्कता समिति में सरपंच, संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक और वार्ड पंच सदस्य होते हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर गठित समिति में प्रधान, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार सदस्य होते हैं तथा नगर पालिका स्तर पर गठित समिति में नगरपालिका का चेयरमैन, उपखण्ड अधिकारी एवं दो वरिष्ठ सदस्य होते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री ने कहा किइसके अलावा जिला स्तर पर गठित समिति में जिला क्लेक्टर, जिला प्रमुख, सांसद, सभी प्रधान, विधायक एवं सरकार के दो प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक-**सुरेश जी. शर्मा** की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव, पूर्व, मुंबई-62 से मुद्रीत किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड, मालाड (पश्चिम),मुंबई - 400064 यहां से प्रकाशित किया। संपादक-**सुरेश जी. शर्मा.**
contact Detail:Tel: 022-66998360/61.Fax: 022-66450908,**Cell**-9321758550,**Email:info@srushtiagronews.com, website:www.srushtiagronews.com. RNI No.MAHHIN/2013/49425**